

03 अंतर्मुख हो जाओ, यही जीवन का रहस्य है, एक शाश्वत सत्य की ओर इशारा करता है 06 वैज्ञानिकों ने नए प्लास्टिक विकसित किए जो सुरक्षित रूप से टूट जाते हैं 08 पूर्व सीनियर डिप्टी मेयर श्री रमन बख्शी जी ने अध्यक्ष पद पर शानदार विजय दर्ज की

दिल्ली में आज भी बिना पंजीकरण का ई रिवशा सड़कों पर, आखिर किसकी मेहरबानी



संजय बाटला

दिल्ली परिवहन विभाग द्वारा ट्रेड सर्टिफिकेट प्राप्त कर दिल्ली में बिना फिटनेस, बिना पंजीकृत ई रिवशा बेच रहे हैं और सबसे अचरज की बात सड़कों पर भी बेखोफ चल रहे हैं।

माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली के आदेश, माननीय उपराज्यपाल दिल्ली द्वारा राजपत्रित अधिसूचना के बावजूद भी दिल्ली की सड़कों पर नए ई रिवशा व भी बिना पंजीकरण सड़कों पर बेखोफ चूम रहे हैं, आखिर किसकी शय और किसका हाथ बड़ा सवाल?

दिल्ली परिवहन विभाग की प्रवर्तन शाखा, दिल्ली यातायात पुलिस और दिल्ली पुलिस के सड़कों पर अनगिनत कर्मचारी और अधिकारी होते

हुए भी बेखोफ चलन में आखिर कैसे?

क्या जनता की सुरक्षा दिल्ली में किसी के लिए भी कोई मायना नहीं रखती।

न्यायालय के आदेश कोई मायना नहीं रखते, उपराज्यपाल द्वारा जारी राजपत्रित अधिसूचना उनके लिए कोई मायना नहीं रखती, तो आखिर क्या मायना रखता है इन सब को और उसके लिए किसका है हाथ इन सभी पर जो जनता की सुरक्षा को ताक पर रख कर, आदेशों, दिशा निर्देशों, कानून को भी ताक पर रखने से नही डरते?

ऐसे डीलरो के खिलाफ परिवहन विभाग को सख्त कार्यवाही करनी चाहिए और तत्काल प्रभाव से उनका ट्रेड सर्टिफिकेट रद्द करना चाहिए।



ईवीएम के इलेक्ट्रॉनिक प्रमाणन पर केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग को खुली सार्वजनिक बहस करनी होगी : गोपाल प्रसाद

ईवीएम के इलेक्ट्रॉनिक प्रमाणन पर केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग को खुली सार्वजनिक बहस करनी होगी – गोपाल प्रसाद

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। आरटीआई सेवक एवं भारत गठबंधन के राष्ट्रीय सह संयोजक गोपाल प्रसाद ने कहा है कि EVM एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम है और भारत के कानून के अनुसार प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का सर्टिफिकेशन अनिवार्य है। इस संदर्भ में उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी को एक सार्वजनिक पत्र भी लिखा है।

उन्होंने गंभीर प्रश्न उठाया— क्या ECI द्वारा उपयोग की जा रही EVM और उसमें लगी माइक्रो-चिप का कोई वैधानिक इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेशन मौजूद है? यदि नहीं, तो क्या जनता को गैर प्रामाणिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से मतदान कराना विधिक और नैतिक दोनों रूप से गलत नहीं है?

उन्होंने कहा कि जब तक चुनाव आयोग EVM और उसके कॉम्पोनेन्ट्स का स्पष्ट, सार्वजनिक और स्वतंत्र सर्टिफिकेशन नहीं दिखाता, तब तक चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाना स्वाभाविक है।

उन्होंने मांग की—

1. केंद्र सरकार और चुनाव आयोग

सार्वजनिक चर्चा आयोजित करें।

2. EVM और चिप का पूरा सर्टिफिकेशन सार्वजनिक किया जाए।

3. यदि यह प्रमाणन उपलब्ध नहीं है तो EVM के उपयोग पर रोक लगे।

उन्होंने अंत में कहा—
“लोकतंत्र की रक्षा के लिए— EVM हटाओ, देश बचाओ!”

Forwarded message -----
From: Gopal Prasad
<sampoornkranti2025@gmail.com>

Date: Sun, Dec 7, 2025,
11:05 AM

Subject: मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) श्री ज्ञानेश कुमार जी के नाम एक सार्वजनिक पत्र

To: <cec@eci.gov.in>

Cc: <complaints@eci.gov.in>

मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) श्री ज्ञानेश कुमार जी के नाम एक सार्वजनिक पत्र

दिनांक : 07.12.2025

सेवा में,
श्री ज्ञानेश कुमार

मुख्य चुनाव आयुक्त
भारत निर्वाचन आयोग,

निर्वाचन सदन, अशोक रोड
नई दिल्ली - 110001

विषय: EVM के इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेशन एवं तकनीकी पारदर्शिता पर सार्वजनिक चर्चा कराने संबंधी मांग।

मान्यवर,
मैं, गोपाल प्रसाद, एक आरटीआई सेवक एवं लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में विश्वास रखने वाला नागरिक, यह पत्र अत्यंत गंभीर चिंताओं के साथ लिख रहा हूँ।

EVM एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, और भारत के प्रचलित कानूनों के अंतर्गत हर इलेक्ट्रॉनिक आइटम का परीक्षण, सत्यापन और प्रमाणन (Certification / Type-Approval) अनिवार्य है।

मेरी प्रमुख चिंताएँ निम्नलिखित हैं—

1. क्या भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उपयोग की जाने वाली Electronic Voting Machine (EVM) तथा उसमें लगी माइक्रो-चिप का किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेशन / BIS प्रमाणन / Type-Approval उपलब्ध है?

2. यदि नहीं, तो क्या आम नागरिकों को बिना प्रमाण-पत्र वाले इलेक्ट्रॉनिक

उपकरण के माध्यम से मतदान के लिए बाध्य करना विधिक रूप से सही है?

3. यदि EVM और उसके electronic components किसी वैधानिक प्रमाणन प्रक्रिया से नहीं गुज़रें हैं, तो यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सीधा प्रभाव डालता है।

4. जब तक EVM, उसकी चिप, उसके कोड और हार्डवेयर का सार्वजनिक, पारदर्शी सर्टिफिकेशन उपलब्ध नहीं कराया जाता, तब तक मतदान प्रणाली पर जनता का विश्वास कैसे बनाए रखा जा सकता है?

अतः मेरी मांग है कि—
भारत निर्वाचन आयोग तत्काल सार्वजनिक चर्चा (Public Hearing / Technical Disclosure Session) आयोजित करे।

EVM मशीन एवं उसमें प्रयुक्त चिप का पूरी तरह सार्वजनिक सर्टिफिकेशन / Type-Approval दस्तावेज़ जारी करे।

यदि सर्टिफिकेशन उपलब्ध नहीं है, तो EVM-आधारित मतदान पर अस्थायी रोक लगाई जाए।

चुनाव प्रक्रिया को ऐसे विकल्पों की ओर ले जाया जाए, जहाँ पूर्ण पारदर्शिता और जनता की भागीदारी सुनिश्चित हो।

लोकतंत्र की नींव पारदर्शिता पर

आधारित है; अतः यह महत्वपूर्ण है कि चुनाव प्रणाली जनता के प्रति जवाबदेह रहे।

कृपया इस पत्र को एक गंभीर नागरिक चिंता के रूप में स्वीकार कर तत्काल कार्रवाई करें। आपका सकारात्मक पहल अपेक्षित है।

भवदीय,
गोपाल प्रसाद (आरटीआई सेवक)
राष्ट्रीय सह संयोजक, भारत गठबंधन निर्वाचन प्रत्याशी, लोकसभा अमेटी (2019)

निवास: मकान नंबर-12, गली नंबर-5,
निकट बालकनाथ मंदिर, चंद्र विहार,
आई.पी. एक्सटेंशन,
दिल्ली-110092

मोबाइल: 9910341785 /
7678261884

व्हाट्सएप: 08178949704

ईमेल: gopalrti7@gmail.com,
sampoornkranti2025@gmail.com

ail.com

Twitter (X):
@varanasilok2024

Blog: www.sampoorn-kranti.blogspot.com

टेंपल आफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर अलाइड ट्रस्ट पंजीकृत

https://tolwa.com/about.html | tolwaindia@gmail.com
tolwadelhi@gmail.com



पिंकी कुंड़

भारत के कई पेशेवर, जिनमें तिरुवनंतपुरम, कानपुर और अन्य शहरों के डॉक्टर भी शामिल हैं, धोखाधड़ीपूर्ण निवेश योजनाओं का शिकार बने हैं। जैसे-जैसे ये घोटाले बढ़ रहे हैं, ज़रूरी है कि किसी भी निवेश अवसर को पैसे लगाने से पहले अच्छी तरह जाँचें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत रिपोर्ट राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर करें।

हाल के मामले

मामला 1: तिरुवनंतपुरम डॉक्टर

— 1.11 करोड़ शेयर ट्रेडिंग घोटाला

पीडित: केरल के एक डॉक्टर

नुकसान: 1.11 करोड़

तरीका: ऑनलाइन वित्तीय विशेषज्ञ बनकर संपर्क, नकली ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में निवेश, छोटे मुनाफ़े दिखाकर विश्वास, बाद में बड़े निवेश हड़प लिए

आज का साइबर सुरक्षा विचार

परिणाम: पैसा निकालने में असफल, पुलिस में शिकायत दर्ज

मामला 2: उदयपुर आईवीएफ विशेषज्ञ — 30 करोड़ फ़िल्म निवेश धोखाधड़ी

पीडित: ईंदिरा IVF के संस्थापक

तरीका: फ़िल्म परियोजनाओं में ऊँचे लाभ का वादा

परिणाम: कोई लाभ नहीं मिला, पुलिस मामला दर्ज

मामला 3: तेलंगाना (पार्कल) — 2.5 करोड़ नकली स्टॉक ऐप घोटाला

पीडित: हनुमकोंडा के दो डॉक्टर

तरीका: ईस्टग्राम विज्ञापन, 5-20% दैनिक लाभ का वादा, व्हाट्सएप समूहों में जोड़कर निवेश करवाया

परिणाम: 18 दिनों में 2.51 करोड़ का नुकसान

मामला 4: क्रिप्टो घोटाला — 1.1 करोड़ नुकसान

पीडित: एक डॉक्टर

तरीका: क्रिप्टो निवेश पर ऊँचे लाभ का वादा

परिणाम: 1.1 करोड़ गंवाए, आरोपी गिरफ्तार

मामला 5: कानपुर के डॉक्टर

पीडित: कई डॉक्टर

तरीका: नकली निवेश योजनाओं में फँसाया

परिणाम: भारी आर्थिक नुकसान और देर से रिपोर्ट करने पर अपराधी बच निकले

समान पैटर्न

डॉक्टर और पेशेवर आर्थिक रूप से स्थिर माने जाते हैं

समय की कमी के कारण वे जाँच नहीं कर पाते

धोखाबाज़ नकली लाभ, व्हाट्सएप समूह और पेशेवर संदर्भों से विश्वास बनाते हैं

निवेश धोखाधड़ी की चेतावनी संकेत

* धोखाबाज़ों की चाल

चेतावनी संकेत गारंटीड ऊँचे लाभ का वादा

कोई वैध निवेश गारंटी नहीं देता

* तुरंत निवेश करने का दबाव

असली निवेश में सोचने का समय मिलता है

* व्यक्तिगत/बैंकिंग जानकारी

माँगना संवेदनशील जानकारी

कभी साझा न करें

* अप्रामाणित ऐप/वेबसाइट

हमेशा SEBI/RBI पंजीकरण जाँचें

शिकायतें खोजें

विश्वसनीय वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें

सहकर्मियों के दबाव में न आएं

सभी संचार और लेन-देन का रिकॉर्ड रखें

पेशेवरों के लिए कार्य योजना

तुरंत जाँच करें कि कोई सहकर्म

संदिग्ध निवेश तो नहीं कर रहा

हिंदी-अंग्रेजी नोट्स साझा कर

जागरूकता अभियान चलाएँ

रिपोर्टिंग को प्रोत्साहित करें — ऑनलाइन शिकायत आसान और गोपनीय है

अस्पतालों, लॉ फर्मों और कंपनियों में साइबर सुरक्षा कार्यशालाएँ

पेशेवर संघ धोखाधड़ी योजनाओं की सूची बनाएँ

निष्कर्ष निवेश धोखाधड़ी योजनाएँ अलग-थलग घटनाएँ नहीं हैं, बल्कि शिक्षित पेशेवरों को निशाना बनाने वाली बड़ी साइबर अपराध प्रवृत्ति का हिस्सा हैं। सबसे बड़ी ज़रूरत है सक्रिय जाँच, सहकर्म

सतर्कता और राष्ट्रीय पोर्टल पर तुरंत रिपोर्टिंग।

जागरूकता, संस्थागत सुरक्षा और नागरिक कार्रवाई मिलकर ही पेशेवरों को आर्थिक नुकसान से बचा सकती है।

बच्चे नौकरी करने के लिए शहर और घर छोड़कर जाते हैं, तो माँ-बाप का आंगन खाली हो जाता है, टूटीये मत, अपने अधूरे सपनों को पूरा कीजिए

पिंकी कुंड़

उनकी पढ़ाई के लिए, आपने अपने सपनों को टाल दिया, उनके भविष्य के लिए, आज को कुर्बान कर दिया। दिन उनके थे, रातें उनकी चिंता की थीं और वर्षों बीत गए “कल सब ठीक हो जाएगा” कहते-कहते।

और फिर एक दिन वह कल आ ही जाता है—जब बच्चा कहता है, “माँ, मुझे बाहर पढ़ने जाना है।” “पापा, मुझे जाँच के लिए शहर छोड़ना होगा”

आप मुस्कुरा देते हैं। हाँसला देते हैं। पीट थपथपाते हैं। और भीतर एक पूरा आँगन सूना हो जाता है।

कमरे वैसे ही रहते हैं, दीवारें वैसी ही, पर आवाज़ें चली जाती हैं। हँसी विदेश चली जाती है। बहसे जाँब इंटरव्यू में बदल जाती हैं, और तब जन्म लेता है वो शून्य—जिसे कोई दवा नहीं भरती, कोई पैसा नहीं भरता, कोई टीवी, कोई फोन, कोई त्योहार नहीं भर पाता।

जब बच्चे चले जाते हैं, तो लोग कहते हैं — “अब आराम करो।” “अब घूमो-फिरो।” “अब अपने लिए जियो।”

पर सच यह है—मन खाली हो चुका होता है, और खाली मन आराम से नहीं भरता, वह उद्देश्य से भरता है।

यह खालीपन डिप्रेशन क्यों बनाता है? क्योंकि वर्षों तक आपकी पहचान सिर्फ यही रही—माँ किसी का पिता हूँ। मैं किसी की माँ हूँ। आपने खुद को इंसान से पहले अभिभावक बना लिया। और जब भूमिका चली जाती है, तो सवाल उठता है—“अब मैं कौन हूँ?” यही सवाल अगर मार्गदर्शन न बन पाए तो वह उदासी बन जाता है, और अकेलापन बन जाता है, और

धीरे-धीरे डिप्रेशन बन जाता है। जो शरीराम बन गए—तब माता का शल्यार्थ रोई होगी। वह भी सुनी हुई होगी। पर उन्होंने जीवन को विराम नहीं दिया। उन्होंने अपना दुःख समाज के लिए शक्ति में बदला। त्याग को बोझ नहीं बनाया, त्याग को तपस्या बना दिया।

खालीपन को तपस्या कैसे बनाया जाए?

1. जो उन्हें दिया था, उसे आगे दो। बच्चों को आपने संस्कार दिए—अब वही संस्कार समाज को दीजिए—काउंसिलिंग, सेवा, मार्गदर्शन,

संस्कार—शालाएँ।

2. अपने शरीर को फिर गुरु बनाइए। योग, प्राणायाम, व्रत, अनुशासन—अब आपके शरीर का भी हक है आप पर।

3. जिनको कभी समय नहीं दे पाए—उनको समय दीजिए। माता-पिता, जीवनसाथी, मित्र, समाज—अब आपका समय फिर आपका है।

4. अपने भीतर की आग को फिर याद कीजिए कभी आपके भी सपने थे—अब फिर से उन सपनों को बुनिए।

5. अकेलेपन को आध्यात्म में बदलिए। भजन, श्रीराम नाम, हनुमान चालीसा, गीता, रामायण—अब ये सिर्फ ग्रंथ नहीं, आपकी चिकित्सा बनेंगे।

सबसे बड़ी सच्चाई—बच्चे जीवन का अध्याय हैं, पूरा ग्रंथ नहीं। त्याग को बोझ नहीं बनाया, त्याग को तपस्या बना दिया।

खालीपन को तपस्या कैसे बनाया जाए?

1. जो उन्हें दिया था, उसे आगे दो। बच्चों को आपने संस्कार दिए—अब वही संस्कार समाज को दीजिए—काउंसिलिंग, सेवा, मार्गदर्शन,

संस्कार—शालाएँ।

2. अपने शरीर को फिर गुरु बनाइए। योग, प्राणायाम, व्रत, अनुशासन—अब आपके शरीर का भी हक है आप पर।

3. जिनको कभी समय नहीं दे पाए—उनको समय दीजिए। माता-पिता, जीवनसाथी, मित्र, समाज—अब आपका समय फिर आपका है।

4. अपने भीतर की आग को फिर याद कीजिए कभी आपके भी सपने थे—अब फिर से उन सपनों को बुनिए।

5. अकेलेपन को आध्यात्म में बदलिए। भजन, श्रीराम नाम, हनुमान चालीसा, गीता, रामायण—अब ये सिर्फ ग्रंथ नहीं, आपकी चिकित्सा बनेंगे।

सबसे बड़ी सच्चाई—बच्चे जीवन का अध्याय हैं, पूरा ग्रंथ नहीं। त्याग को बोझ नहीं बनाया, त्याग को तपस्या बना दिया।

खालीपन को तपस्या कैसे बनाया जाए?



स्वास्थ्य विशेष

स्वास्थ्य आपका कोशिश हमारी

यहां जो बारह “Stumbling blocks” (अवरोध) बताए हैं — ये सभी आत्म-प्रगति, आध्यात्मिक विकास और जीवन के लक्ष्यों की ओर अग्रसरता में बाधक होते हैं। नीचे हर एक का अर्थ, जीवन में कैसे प्रकट होता है, उसके निहित परिणाम और उसे दूर करने के व्यावहारिक व आध्यात्मिक उपाय दिए जा रहे हैं

प्रस्तुत कर्ता:- विद्या भूषण भरद्वाज

1) अवज्ञा (Disobedience)
अर्थ: नियमों, उच्च सत्य, गुरु/अनुभव की मार्गदर्शक या अपनी अंतरात्मा की आवाज का न मानना।

प्रकट होना: सलाह न सुनना, अनुशासन तोड़ना, झटपट परिणाम चाहिए होना।

प्रभाव: सीखने और परिपक्वता के अवसर खो जाते हैं; संबंध और करियर को नुकसान; आत्म-नियमन घटता है।

उपाय: छोटे अनुशासन से शुरू करें (समय पर उठना, वादा निभाना)। गुरु/अनुभवियों की सकारात्मक सलाह को परीक्षण के साथ अपनाएं। आत्म-निरीक्षण (journaling) और नियमों का लक्ष्य-आधारित आवेदन करें।

2) द्विधा/दो-मन (Double-minded)
अर्थ: एक साथ दो दिशाओं में झूलना — दृढ़ निश्चय का अभाव।

प्रकट होना: योजनाएं बार-बार बदलना, निर्णय टालना, “हाँ पर भी और नहीं पर भी” मन।

प्रभाव: ऊर्जा बिखरती है; प्रगति धीमी या झटपट रुक जाती है; आत्म-विश्वास कम होता है।

उपाय: प्राथमिकता तय करें; छोटे निर्णयों से आत्मविश्वास बनाएं; निर्णय लेने के बाद 30-90 दिन का नियम अपनाएं — इस दौरान उस निर्णय के लाभ/हानि पर समीक्षा करें। ध्यान (meditation) से मन की स्थिरता बढ़ाएं।

3) मनोहर इच्छाएँ (Distracting-desires)
अर्थ: क्षणिक आकर्षण/लालसाओं के पीछे भागना जो लक्ष्य से भटकता है।

प्रकट होना: सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करना, फालतू खरीदारी, अस्वास्थ्यकर आदतें।

उपाय: इच्छाओं का मानचित्र बनाएं — किसे तुरंत रोकना है, किनको नियंत्रित करना है। “यदि — तो” नियम बनाएं (e.g., अगर काम पूरा हुआ तभी मनोरंजन)। छोटे-छोटे इनाम (rewards) से विवेकपूर्ण संतुष्टि दें।

4) विद्रोही स्वभाव (Defiant)
अर्थ: नकारात्मक परामर्श का विरोध, जानबूझकर चुनौती देना या अहंकार से विरोध करना।

प्रकट होना: हर बात पर बहस, नियमों

को चुनौती, रिश्तों में तनाव।

प्रभाव: सहायता खोना; अवसरों का निषेध; अकेलापन और संघर्ष।

उपाय: अहंकार की पहचान करें — बहस से पहले 10 सेकंड ठहरें, प्रश्न करने का उद्देश्य बदलें: “मैं जीतना चाहता/चाहती हूँ” “मैं समझना चाहता/चाहती हूँ”। विनम्रता का अभ्यास करें।

5) अपवित्रता (Defilement)
अर्थ: मन, वचन और कर्म का दूषित होना — अनैतिकता, नकारात्मकता, अस्वास्थ्यकर बातें।

प्रकट होना: झूठ, नफरत, ईर्ष्या, अस्वास्थ्यकर संबंध, आत्म-वृणा।

उपाय: स्व-अनुशासन, क्षमाशीलता, नैतिकता पर दृढ़ता। रोज आत्म-परीक्षा: (e.g., अगर काम पूरा हुआ तो क्या मेरा कर्म शुद्ध है? साधारण आध्यात्मिक अभ्यास (प्रार्थना, जप, सत्संग) मदद करता है।

6) मन्दता/अवसाद (Dullness)
अर्थ: चेतना का सुस्त होना — मानसिक सुस्ती, आँखें/मन भारी महसूस होना।

प्रकट होना: आलस्य, ध्यान न टिकना,

सृजनात्मकता की कमी।

प्रभाव: अध्ययन/काम में गिरावट; लक्ष्य से धीरे-धीरे हटना; स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर।

उपाय: नियमित व्यायाम, नींद का संतुलन, पौष्टिक आहार; ब्रेक्स में सक्रियता (हैवी थिंकिंग के बाद हल्की सैर)। ब्रह्ममuhurta या सुबह की तरोताजा प्रैक्टिस जब संभव हो। मन को प्रोत्साहित करने के लिए छोटा लक्ष्य सेट करें।

7) वैमनस्य/कलह (Discord)
अर्थ: लोगों के बीच झगड़ा, असहमति और विभाजन।

प्रभाव: टीम में तालमेल न रहना, पारिवारिक झगड़े, कार्यालय में तनाव।

उपाय: संवाद कला (active listening) सीखें; विवाद में जीत से ज्यादा समाधान पर ध्यान दें; माफ़ करना और बीच का रास्ता खोजें। समूह के लक्ष्यों को बार-बार स्पष्ट करें।

8) कपट/छल (Deception)
अर्थ: दूसरों या स्वयं के प्रति असत्य बोलना/प्रवृत्ति।

प्रकट होना: झूठ बोलना, दिखावा,

वास्तविकता से भागना।

प्रभाव: भरोसा टूटता है; संबंध विघटित होते हैं; नैतिक पतन।

उपाय: सच्चाई को छोटी-छोटी बातों से आत्मसात करें; ‘सत्य बोलने’ का अभ्यास; स्वयं से ईमानदारी — अपने कारणों को स्वीकारें। मन का शुद्धिकरण करें।

9) पीछे हटना (Drawing-back)
अर्थ: भय, असमर्थता या निश्चय की कमी से पीछे हट जाना — आध्यात्मिक या व्यवहारिक मैदान छोड़ देना।

प्रकट होना: मुश्किल समय में प्रयास बंद कर देना; संकट आते ही हार मान लेना।

उपाय: असफलता के भय का विश्लेषण करें; छोटे-छोटे कदम लें; समर्थन प्रणाली (mentor, मित्र) रखें। विफलता को सीख मानकर पुनः प्रयत्न की आदत डालें।

10) अस्वीकार (Denial)
अर्थ: सच को न स्वीकारना — समस्याओं, दोषों या परिस्थितियों को नज़रअंदाज़ करना।

प्रभाव: समय रहते उपाय न होने पर

समस्या बढ़ जाती है; बड़े नुकसान।

उपाय: सच्चाई का सामना करने की क्षमता विकसित करें; डेटा/साक्ष्य पर विचार करें; आत्म-साक्षात्कार करें। स्वीकार करने के बाद समाधान पर ध्यान दें।

11) पतन/अवनति (Declension)
अर्थ: पहले जो ऊपर था उसका धीरे-धीरे गिरना — गिरावट की प्रक्रिया।

प्रभाव: प्रतीभा का दंश, आध्यात्मिक जीवन में जरा-जरा करके रोड़ा आना।

उपाय: नियमित आत्म-निरीक्षण; गिरावट की शुरुआती चेतावनियों पर कार्रवाई; नित्य नियम (sadhana) और अपने मूल सिद्धांतों पर लौटें। छोटी चीजों में अनुशासन बनाएं।

12) भ्रमक उपदेश/झूठी शिक्षाएँ (Deceptive-doctrine)
अर्थ: गलत या संदिग्ध सिद्धांतों को सत्य मान लेना — फर्जी गुरुओं या आध्यात्मिक shortcuts।

प्रभाव: संदिग्ध शिक्षकों की अंध श्रद्धा; quick-fix सोच; कट्टरता या अंध विश्वास।

प्रभाव: समय/धन/आत्मिक ऊर्जा की बर्बादी; गुमराह होना; वास्तविक उन्नति में बाधा।

उपाय: शिक्षक/सूत्रों का विवेकपूर्ण परीक्षण करें — तर्क, अनुभव और फल (fruits) देखें। मूल ग्रंथों तथा प्रमाणित साधकों से मार्गदर्शन लें। स्वविवेक का विकास आवश्यक है।

समेकित सुझाव (सभी अवरोधों के लिए)

- स्व-ज्ञान: रोज 10-15 मिनट का आत्म-निरीक्षण — कहाँ फँसा हूँ, क्यों?
- नियमित साधना: प्रार्थना, ध्यान, व्रत, सांस अभ्यास — मन को नियंत्रित करता है।
- लघु लक्ष्य + पुरस्कार: लक्ष्य को टुकड़ों में बाँटिए और हर छोटे लक्ष्य पर खुद को प्रोत्साहित करें।
- सहयोग: गुरु, मित्र, अच्छा परिवेश — ये चारों बोज़ हल्के कर देते हैं।
- निरन्तर सीखना: गलतियों से सीखें, आत्म-क्षमाशीलता रखें पर सुधार न भूलें।

सभी 12 ब्लॉक्स (1-12) को हटाने के लिए एक 14-दिन का, समूह को संबोधित करने योग्य, शक्तिशाली और व्यावहारिक प्लान।

प्रस्तुत कर्ता:- विद्या भूषण भरद्वाज

14-दिन का संपूर्ण परिवर्तन-योजना, 12 Stumbling Blocks और उनसे मुक्ति का 14-दिन का सफर

उद्देश्य: आज्ञाकारिता, स्पष्टता, संयम, पवित्रता, सत्यता और लक्ष्योन्मुख जीवन को विकसित करना। इन 12 अवरोधों को तोड़ना जो मनुष्य को उसकी नियत मंजिल से भटकते हैं।

WEEK 1 – आंतरिक अनुशासन (Inner Discipline)

दिन 1 – Disobedience (अज्ञाकारिता) को तोड़ना

आज का अभ्यास: “हर छोटी बात में नियमों का सम्मान।” अपने दिन में 3 छोटी आज्ञाकारिता चुनौतियाँ रखें—समय, कार्य, प्रतिबद्धता।

दिन 2 – Double-Mindedness (द्विचिन्तता) मिटाना

सुबह 10 मिनट: एक ही लक्ष्य चुनें और लिखें: “मैं आज किस बात में स्पष्ट रहूँगा/रहूँगी?” पूरे दिन एक निर्णय पर अडिग रहें।

दिन 3 – Distracting Desires (भटकाने वाली इच्छाएँ) नियंत्रित करना

3 प्रमुख distractions पहचानें (मोबाइल, भोजन, लोगों की राय आदि)। प्रत्येक के लिए 2-घंटे का नियम—उस दौरान distraction को न छुएँ।

दिन 4 – Defiant Spirit (जिद/विद्रोही भाव) पिघलाना

किसी भी बातचीत में पहले 10 सेकंड सुनें। आज “मैं सही हूँ” से अधिक “मैं समझ रहा हूँ” को प्राथमिकता दें।

दिन 5 – Defilement (आत्मिक/मानसिक अपवित्रता) हटाना

आज कोई नकारात्मक कंटेन्ट—न पढ़ें, न देखें, न सुनें।

शाम को 10 मिनट शांति-ध्यान।

दिन 6 – Dullness (सुस्ती/आलस्य) से बाहर आना

अपने दिन की शुरुआत 5 मिनट स्ट्रेचिंग और 5 मिनट रिव्यू से करें।

1 कार्य चुनें जिसे आप टालते थे—उसे आज ही पूरा करें।

दिन 7 – Discord (कलह) से सौहार्द की ओर

आज किसी से भी बहस या कटु प्रतिक्रिया बिल्कुल न दें।

एक healing line बोलें: “आपकी बात मेरे लिए महत्वपूर्ण है।”

WEEK 2 – बाहरी व्यवहार सुधार (Outer Transformation)

दिन 8 – Deception (धोखा/आत्म-धोखा) समाप्त करना

आज केवल सच्चाई—बहाने नहीं।

शाम को लिखें: कहाँ मन ने बहाना देने की कोशिश की?

दिन 9 – Drawing Back (पीछे हटना/हार मानना)

आज हर कठिन कार्य को 25 मिनट दें—रुकावट के बावजूद।

नियम: “मैं कोशिश करूँगा, भागूँगा नहीं।”

दिन 10 – Denial (इनकार) खत्म करना

एक सच्चाई स्वीकारें जिससे आप भाग रहे थे—स्वास्थ्य, वित्त, संबंध।

उसके समाधान के 3 कदम लिखें।

दिन 11 – Declension (गिरावट/ढलान) उलटाना

अपने जीवन के 3 क्षेत्र लिखें जहाँ आप पहले बेहतर थे।

आज उनमें से एक स्थिति को पुनः सुधारें (रीडिंग, वर्कआउट, आध्यात्मिक समय आदि)।

दिन 12 – Deceptive Doctrine (भ्रमित करने वाले विचार/गलत मान्यताएँ)

आज किसी भी धारणे को बिना प्रमाण स्वीकार न करें।

हर सूचना पर 3 प्रश्न पूछें:

1. क्या यह सत्य है?

2. क्या यह उपयोगी है?

3. क्या यह मुझे उन्नत करता है?

दिन 13 – Restoration Day (पुनर्स्थापन दिवस)

जहाँ गलती की—स्वीकारें। जहाँ बिखराव हुआ—सुधारें। जहाँ दूरी आई—जुड़ें।

एक healing call या संदेश अवश्य करें।

दिन 14 – Destiny Alignment Day (नियत मंजिल से संरेखण)

पूरा 14 दिन लिखकर देखें:

कौन सा block सबसे ज्यादा ढीला हुआ?

किस आदत में सबसे बड़ा परिवर्तन आया?

आगे अगला 14 दिन किस ब्लॉक को गहराई से हटाने में लगाएँगे?

यह 14-दिन की योजना आपकी सोच, व्यवहार और आध्यात्मिक दिशा—तीनों को पुनर्संगठित करती है। यह आपको उन 12 रुकावटों से मुक्त करती है जो मनुष्य को उसकी नियत श्रेष्ठता, उसकी ‘throne’ से दूर रखते हैं।

यह कई बुजुर्गों के लिए बहुत उपयोगी है। उम्र बढ़ने पर दिमाग को सक्रिय रखना बहुत जरूरी है...

प्रस्तुत कर्ता:- विद्या भूषण भरद्वाज

नियमित बातचीत और सामाजिक जुड़ाव बुजुर्गों के लिए दिमाग और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए बहुत फायदेमंद है।

वैज्ञानिक रूप से साबित 3 बड़े फायदे:

1) बातचीत दिमाग को सक्रिय रखती है

रिसर्च बताती है कि जब हम बात करते हैं, तो दिमाग के कई हिस्से एक साथ काम करते हैं। इससे:

सोचने की गति बढ़ती है

याददाश्त बेहतर रहती है

ध्यान और मानसिक चुस्ती बढ़ती है जो लोग अकेले रहते हैं या कम बोलते हैं, उनमें भूलने की समस्या जल्दी बढ़ सकती है।

(लेकिन केवल ज्यादा बोलना अल्जाइमर को रोक नहीं सकता — सामाजिक सक्रियता एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।)

2) दूसरों से बात करने से तनाव कम होता है

बातचीत: तनाव हार्मोन कम करती है

अकेलापन और अवसाद कम करती है

मनहल्का होता है

संबंधमजबूत होते हैं

दिल में सब कुछ दबाकर रखना मानसिक परेशानी बढ़ा सकता है।

3) बातचीत एक हल्का शारीरिक व्यायाम भी है

बोलने से सक्रिय रहते हैं:



चेहरे और गले की मांसपेशियाँ सांस लेने की लय आवाज की ताकत आत्मविश्वास

सामाजिक रूप से जुड़ने से चलना-फिरना और मन दोनों सक्रिय रहते हैं।

साफ़ बात: केवल बात करना अल्जाइमर को रोक नहीं सकता,

लेकिन सामाजिक सक्रियता दिमाग को मजबूत रखने में बहुत मदद

करती है।

दिमाग स्वस्थ रखने के अन्य वैज्ञानिक उपाय:

रोज़ाना व्यायाम

नौद पुरी

हेल्दी खाना

BP, शुगर, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल

पढ़ना, सीखना, दिमागी गतिविधियाँ

परिवार/दोस्तों से जुड़ाव

नियम

बुजुर्गों के लिए बातचीत और सामाजिक संपर्क बहुत फायदेमंद है। फोन करें, मिलें, बातें करें, अपने अनुभव साझा करें —

दिमाग भी सक्रिय रहेगा और मन भी खुश रहेगा।

जिस बुजुर्ग को आप जानते हैं जो अकेला रहता है या ज्यादा नहीं बोलता आज ही उनसे बात करें।

इसे उन सभी लोगों को भेजें जिनके घर में बुजुर्ग हैं — उनके लिए यह एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण आदत है।

छिपे हुए जहर जो तंत्रिका क्षति (न्यूरोपैथी) का कारण

अक्सर हम न्यूरोपैथी या नर्व-दर्द को सिर्फ मधुमेह या उम्र बढ़ने से जोड़ते हैं। लेकिन वर्तमान वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि इसके पीछे कई “छिपे हुए जहर” हो सकते हैं —

पर्यावरणीय एवं जीवनशैली-आधारित कारक, जो समय के साथ धीरे-धीरे हमारी तंत्रिका प्रणाली को नुकसान पहुंचाते हैं।*

यह “छिपे हुए जहर” कौन-कौन से हैं?

1. भारी धातुएँ (Heavy Metals): लेड (Lead), मरकरी (mercury), आर्सेनिक (arsenic), कैडमियम (cadmium) जैसी धातुएँ पर्यावरणीय और औद्योगिक स्रोतों से शरीर में पहुंचकर नर्व कोशिकाओं के लिए जहर बन सकती हैं। पानी, दूषित मछली, पुरानी पेंट, इलेक्ट्रॉनिक कचरा आदि माध्यम हो सकते हैं।

2. मेटाबोलिक असंतुलन / उच्च रक्त-शर्करा (Pre-diabetes / मधुमेह): लंबे समय तक बनी ऊँची ब्लड-शुगर और उससे जुड़े मेटाबोलिक

तनाव तंत्रिकाओं को क्षतिग्रस्त कर सकते हैं — ग्लायकेशन, सूजन, ऑक्सीडेटिव तनाव और खराब रक्त-संचार के कारण।

3. दीर्घकालिक दवाओं के कारण पोषक तत्वों की कमी: कुछ आम उपयोग की जाने वाली दवाएँ — जैसे एसिड कम करने वाली दवाएँ — शरीर में महत्वपूर्ण पोषक तत्वों (जैसे विटामिन B12) के अवशोषण को प्रभावित कर सकती हैं। लंबे समय तक ऐसा होने पर नर्व हेल्थ को नुकसान हो सकता है।

4. आंतरिक जैव-रासायनिक तनाव: ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, माइटोकॉन्ड्रियल दोष, कैल्शियम सिग्नलिंग में गड़बड़ी व सूजन: भारी धातुएँ या मेटाबोलिक विषाक्त पदार्थ नर्व कोशिकाओं में ऑक्सीडेटिव तनाव, माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन की हानि, कैल्शियम/आयन सिग्नलिंग को गड़बड़ी और विकासात्मक या पुरानी सूजन पैदा कर सकते हैं — ये सभी न्यूरोल सेल्स की सेहत के लिए खतरनाक हैं।

नुकसान कैसे दिखता है? भारी धातुओं का शरीर में जमा होना —

मस्तिष्क व पेरिफेरल नर्व्स तक पहुंचना — तंत्रिकाओं की संचार क्षमता को बाधित कर सकता है; न्यूरोन्स को नुकसान या मौत तक पहुंचा सकता है।

व्यस्कों में यह पेरिफेरल न्यूरोपैथी के रूप में दिख सकता है — जैसे हाथ व पैरों में झुनझुनी, सुन्नता, जलन, मांसपेशियों में कमजोरी, गंभीर मामलों में ‘फुट-ड्रॉप’ या ‘wrist-ड्रॉप’ जैसी असमर्थता। यदि जन्मकाल या बचपन में भारी धातुओं का संपर्क हुआ हो (जैसे लेड या मथाइलमरकरी), तो इसके दृष्टभाव गहरे और दीर्घकालिक हो सकते हैं — बुद्धिमत्ता में कमी, ध्यान, स्मृति, सीखने व व्यवहार में असुविधा।

बचाव और नर्व सुधार के उपाय धातुओं के संपर्क को कम करें — दूषित पानी से बचें, ज्ञात रूप से भारी-धातु युक्त मछलियों व भोजन से सावधान रहें, पुराने पेंट वाले घरों या उद्योगों से दूरी बनाएं।

स्वस्थ ब्लड-शुगर व मेटाबोलिक बनाए रखें — ताकि न्यूरोल क्षति कम हो और नर्व्स सुरक्षित रहें।

नर्व-पोषक पोषक तत्वों का पर्याप्त

सेवन — विशेष रूप से B-विटामिन (जैसे B12, B1), मैग्नीशियम, जिंक, एंटी-ऑक्सिडेंट्स, जो कोशिका ऊर्जा (माइटोकॉन्ड्रिया) और न्यूरोल स्वास्थ्य में मदद करते हैं।

दीर्घकालिक दवा प्रयोग का स्वास्थ्य-विशेषज्ञ से समन्वय — यदि दवाओं का सेवन जारी है, तो समय-समय पर पोषक स्तर (जैसे B12) की जाँच करवाएं।

निष्कर्ष न्यूरोपैथी सिर्फ मधुमेह या उम्र का नतीजा नहीं होती। पर्यावरणीय विषाक्त पदार्थ, भारी धातुएँ, पोषण की कमी, मेटाबोलिक असंतुलन — ये सभी धीरे-धीरे, चुपचाप हमारी तंत्रिका प्रणाली को प्रभावित कर सकते हैं। यदि हम इन “छिपे जहरों” को पहचान लें और समय से बचाव कर लें — तो न केवल जोखिम कम होगा, बल्कि तंत्रिकाओं को सुधारने या आगे क्षति रोकने का मौका भी मिलेगा।

सर्दियों में संतरे का जूस: 5 संभावित फायदे



1. इम्यूनटी का सपोर्ट

संतरे में विटामिन C पाया जाता है, जो शरीर की इम्यून हेल्थ को सपोर्ट करने में मदद कर सकता है। सर्दियों में इम्यून सिस्टम कमजोर हो सकता है, ऐसे में सांत्वना देने वाले पेय जैसे संतरे का जूस शरीर को मजबूत बनाए रखने में सहायक हो सकते हैं।

2. रिस्कन हेल्थ में सहायता

संतरे में फाइबर, विटामिन C और एंटीऑक्सिडेंट पाए जाते हैं, जो रिस्कन की हेल्थ को बेहतर बनाने में मदद कर सकते

हैं। यह रिस्कन को पोषण देता है और टेक्सचर को सपोर्ट करने में सहायक हो सकता है।



“अंतर्मुख हो जाओ, यही जीवन का रहस्य है,” एक शाश्वत सत्य की ओर इशारा करता है

समय की अनिश्चितता: “विमान उड़ने का समय निश्चित होता है, बस चलने का समय निश्चित होता है, गाड़ी छूटने का समय निश्चित होता है परंतु इस जीवन की गाड़ी छूटने का कोई निश्चित समय नहीं है। यह तुलना बहुत ही मार्मिक और शक्तिशाली है। यह बताती है कि बाहरी दुनिया के हर कार्य की एक समय-सारणी है, लेकिन हमारे अपने जीवन की समय-सीमा पूरी तरह अनिश्चित है। यह हमें वर्तमान क्षण (Present Moment) में जीने, कल पर काम टालने के बजाय आज ही अपने आध्यात्मिक प्रयास शुरू करने की प्रबल प्रेरणा देता है।




निष्कर्ष और जीवन का सही ढंग: “अतः सावधान हो जाओ। अन्तर्मुख होकर अपने अविचल आत्मा को, निजस्वरूप के अगाध आनन्द को, शाश्वत शांति को प्राप्त करने का प्रयास करें। यही जीवन जीने का सही ढंग है।”
लेख का सार और सकारात्मक संदेश जब बाहरी सब कुछ अस्थिर और अनिश्चित है, तो आंतरिक अविचल आत्मा ही एकमात्र स्थायी

आश्रय है।
अन्तर्मुखी होने का अर्थ है, स्वयं के भीतर के आनन्द के स्रोत को खोजना, जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता। यही शाश्वत शांति का मार्ग है और, जैसा कि आपने कहा, जीवन जीने का सही ढंग है। यह एक उकृष्ट आध्यात्मिक जागरण (Spiritual

Awakening) का आह्वान है। यह संसार की मोह-माया से ध्यान हटाकर, मनुष्य को अपनी अमरता (Immortality) और आत्म-बोध (Self-Realization) के लक्ष्य की ओर मुड़ने का आग्रह करता है।
यह हमें सिखाता है कि जीवन का असली खजाना बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर है।


मौन श्राप या क्रोध श्राप, कौन सा अधिक शक्तिशाली ?

पिकी कुंडू
“क्रोध के आवेश में आकर दिए गए श्राप से कहीं अधिक शक्तिशाली ‘मौन श्राप’ होता है, जिसे कोई व्यक्ति हंस कर पी लेता है और उस पीड़ा को अपने हृदय में दबाकर अपनी आत्म-शक्ति को जागृत करता है।
ऐसे व्यक्ति को सताने की भूल कभी न करें, विशेषकर उसे जो आपकी हर गलती को क्षमा कर देता हो। क्षमादान देकर वह व्यक्ति अपने मानवीय कर्तव्य को पूरा कर कर्म-बंधन से मुक्त हो जाता है, जिसके पश्चात न्याय की डोर सीधे प्रकृति (कुदरत) के हाथों में आ जाती है।
कर्म का सिद्धांत अटल है। जब कोई प्राणी किसी की गलती को क्षमा करता है, तो कुदरत पूरी ईमानदारी से उसका हिसाब करती है। ऐसे कर्मों का फल और श्राप पीड़ितों तक पीछा नहीं छोड़ता और दुनिया की कोई भी शक्ति इसे काट नहीं सकती। इसलिए, किसी का दिल दुखाने से सदैव बचें।”



चूडामणि का अदभुत रहस्य

पिकी कुंडू
आज हम रामायण में वर्णित चूडामणि की कथा बता रहे हैं। इस कथा में आप जानेंगे की
१-कहाँ से आई चूडा मणि ?
२-किसने दी सीता जी को चूडामणि ?
३-क्यों दिया लंका में हनुमानजी को सीता जी ने चूडामणि ?
४-कैसे हुआ वैष्णो माता का जन्म ?
चौ-मातु मोहि दीजे कछु चीन्हा। जैसे रघुनाथक मोहि दीन्हा।
चौ-चूडामणि उतारी तब दयऊ। हरष समेत पवनसुत लयऊ।
चूडामणि कहाँ से आई ? सागर मंथन से चौदह रत्न निकले, उसी समय सागर से दो देवियों का जन्म हुआ-
१-रत्नाकर नन्दिनी
२-महालक्ष्मी
रत्नाकर नन्दिनी ने अपना तन मन श्री हरि (विष्णु जी) को देखते ही समर्पित कर दिया ! जब उनसे मिलने के लिए आगे बढ़ी तो सागर ने अपनी पुत्री को विश्वकर्मा द्वारा निर्मित दिव्य रत्न जटित चूडा मणि प्रदान की (जो सुर पूजित मणि से बनी) थी।
इतने में महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव हो गया और लक्ष्मी जी ने विष्णु जी को देखा और मन ही मन वरण कर लिया यह देखकर रत्नाकर नन्दिनी मन ही मन अकुलाकर रह गई सब के मन की बात जानने वाले श्रीहरि रत्नाकर नन्दिनी के पास पहुँचे और भरो से बोले, मैं तुम्हारा भाव जानता हूँ, पृथ्वी को भार-निवृत्त करने के लिए जब-जब मैं अवतार ग्रहण करूँगा, तब-तब तुम मेरी सहायिणी शक्ति के रूप में मेरी पीठ पर अवतार लौंगीं।
सम्पूर्ण रूप से तुम्हें कलियुग में श्री कल्कि रूप में अंगीकार करूँगा अभी सतयुग है तुम त्रेता, द्वापर में, त्रिकूट शिखर पर, वैष्णवी नाम से अपने




अर्चकों की मनोकामना की पूर्ति करती हुई तपस्या करो।
तपस्या के लिए बिदा होते हुए रत्नाकर नन्दिनी ने अपने केश पास से चूडामणि निकाल कर निशानी के तौर पर श्री विष्णु जी को दे दिया वहीं पर सागर में इन्द्र देव खड़े थे, इन्द्र चूडा मणि पाने के लिए लालायित हो गये।
विष्णु जी ने वो चूडा मणि इन्द्र देव को दे दिया, इन्द्र देव ने उसे इन्द्राणी के जुड़े में स्थापित कर दिया।
शम्बरसुर नाम का एक असुर हुआ जिसने स्वर्ग पर चढाई कर दी इन्द्र और सारे देवता युद्ध में उससे हार के छुप गये कुछ दिन बाद इन्द्र देव अयोध्या राजा दशरथ के पास पहुँचे सहायता पाने के लिए इन्द्र की ओर से राजा दशरथ कैकेई के साथ शम्बरसुर से युद्ध करने के लिए स्वर्ग आये और युद्ध में शम्बरसुर दशरथ के हाथों मारा गया।
युद्ध जीतने की खुशी में इन्द्र देव तथा इन्द्राणी ने दशरथ तथा कैकेई का भव्य स्वागत किया और उपहार भेंट किये।
इन्द्र देव ने दशरथ की को “स्वर्गगंगा मन्दाकिनी के दिव्य हंसों के चार पंख प्रदान किये।
इन्द्राणी ने कैकेई को वही दिव्य चूडामणि भेंट की और वरदान दिया जिस नारी के केशपास में ये चूडामणि रहेगी उसका सौभाग्य अक्षत-अक्षय तथा अखंड रहेगा और जिस राज्य में वो नारी रहेगी उस राज्य को कोई भी शत्रु पराजित नहीं कर पायेगा। उपहार प्राप्त कर राजा दशरथ और कैकेई अयोध्या

वापस आ गये। रानी सुमित्रा के अदभुत प्रेम को देख कर कैकेई ने वह चूडामणि सुमित्रा को भेंट कर दिया।
इस चूडामणि की समानता विश्वर के किसी भी आभूषण से नहीं हो सकती।
जब श्री राम जी का व्याह माता सीता के साथ सम्पन्न हुआ। सीता जी को व्याह कर श्री राम जी अयोध्या धाम आये सारे रीति-रिवाज सम्पन्न हुए। तीनों माताओं ने मुह दिखाई की प्रथा निभाई।
सर्व प्रथम रानी सुमित्रा ने मुँह दिखाई में सीता जी को वही चूडामणि प्रदान कर दी। कैकेई ने सीता जी को मुँह दिखाई में कनक भवन प्रदान किया। अंत में कौशिल्या जी ने सीता जी को मुँह दिखाई में प्रभु श्री राम जी का हाथ सीता जी के हाथ में सौंप दिया। संसार में इससे बड़ी मुँह दिखाई और क्या होगी। जनक जी ने सीता जी का हाथ राम को सौंपा और कौशिल्या जी ने राम का हाथ सीता जी को सौंप दिया।
राम की महिमा राम ही जाने हम जैसे तुल्य दीन हौन अग्यानी व्यक्ति कौशिल्या की सीता राम के प्रति ममता का बखान नहीं कर सकते।
सीताहरण के पश्चात माता का पता लगाने के लिए जब हनुमान जी लंका पहुँचे हैं हनुमान जी की भेंट अशोक वाटिका में सीता जी से होती है। हनुमान जी ने प्रभु की दी हुई मुद्रिका सीतामाता को देते हैं और कहते हैं-
मातु मोहि दीजे कछु चीन्हा जैसे रघुनाथक मोहि दीन्हा चूडामणि उतारी तब दयऊ हरष समेत पवनसुत लयऊ।
सीता जी ने वही चूडामणि उतार कर हनुमान जी को दे दिया, यह सौंच कर यदि मेरे साथ यह चूडामणि रहेगी तो रावण का बिनाश होना सम्भव नहीं है। हनुमान जी लंका से वापस आकर वो चूडामणि भगवान श्री राम को देकर माता जी के वियोग का हाल बताया।

एक गृहस्थ भक्त

पिकी कुंडू
एक गृहस्थ भक्त दो दिन के खर्च के लिए घर पर अपनी जीविका का आधा भाग पत्नी को देकर अपने गुरुदेव के पास गया।
दो दिन बाद उसने अपने गुरुदेव को निवेदन किया के अभी मुझे घर जाना है। मैं धर्मपत्नी को दो ही दिन का घर खर्च दे पाया हूँ। घर खर्च खत्म होने पर मेरी पत्नी व बच्चे कहीं से खायेंगे। गुरुदेव के बहुत समझाने पर भी वो नहीं रुका तो उन्होंने उसे एक चिट्ठी लिख कर दी और कहा कि रास्ते में मेरे एक भक्त को देते जाना।
वह चिट्ठी लेकर भक्त के पास गया। उस चिट्ठी में लिखा था कि जैसे ही मेरा यह भक्त तुम्हें यह खत दे तुम इसको 6 महीने के लिए मौन साधना की सुविधा वाली जगह में बंद कर देना।
उस गुरु भक्त ने वैसे ही किया। वह गृहस्थी शिष्य 6 महीने तक अन्दर गुरु पद्धति नियम, साधना करता रहा परंतु कभी कभी इस सोच में भी पड़ जाता कि मेरी पत्नी का क्या हुआ, बच्चों का क्या हुआ होगा ?
उधर उसकी पत्नी समझ गयी कि शायद पतिदेव वापस नहीं लौटेंगे तो उसने किसी के यहाँ खेती बाड़ी का काम शुरू कर दिया। खेती करते करते उसे हीरे जवाहरात का एक मटका मिला, उसने ईमानदारी से वह मटका खेत के मालिक को दे दिया। उसकी ईमानदारी से खुश होकर खेत के मालिक ने उसके लिए एक अच्छा मकान बनवा दिया व आजीविका हेतु जमीन जायदाद भी दे दी। अब वह अपनी जमीन पर खेती कर के खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगी।
जब वह शिष्य 6 महीने बाद घर लौटा तो देखकर हैरान हो गया और मन ही मन गुरुदेव के करुणा कृपा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने लगा कि सद्गुरु ने मुझे यहाँ



अहंकार मुक्त कर दिया। मैं समझता था कि मैं नहीं कमाकर दूंगा तो मेरी पत्नी और बच्चों का क्या होगा ? ?
करनेवाला तो सब परमात्मा है। लेकिन झूठे अहंकार के कारण मनुष्य समझता है कि मैं करने वाला हूँ। वह अपने गुरुदेव के पास पहुँचा और उनके चरणों में पड़ गया। गुरुदेव ने उसे समझाते हुए कहा बेटा हर जीव का अपना अपना प्रारब्ध होता है और उसके अनुसार उसका जीवन यापन होता है। मैं भगवान के भजन में लगा जाऊंगा तो मेरे घरवालों का क्या होगा ? ?
मैं सब का पालन पोषण करता हूँ मेरे बाद उनका क्या होगा यह अहंकार मात्र है। वास्तव में जिस परमात्मा ने यह शरीर दिया है उसका भरण पोषण भी वही परमात्मा करता है।
प्रारब्ध पहले रच्यो पीछे भयो शरीर तुलसी चिंता क्या करे भज ले साहेब कबीर
निष्कर्ष बहुत दूर दूर तक घुम लिया ईसान जिंदगी में दोस्तों, बस यही जानने के लिए कि नचदीक कौन है, सभी शब्दों का अर्थ मिल सकता है परन्तु जीवन का अर्थ जीवन जी कर और संबंध का अर्थ संबंध निभाकर ही मिल सकता है।

हिन्दू धर्म के जानने योग्य तथ्य

- पिकी कुंडू
1. ज्योति स्वरूप ॐकार महेश्वर - आदिनाथ।
 2. धरनी स्वरूप पार्वती - उदयनाथ।
 3. जल स्वरूप ब्रह्मा - सत्यनाथ।
 4. तेज स्वरूप विष्णु - संतोषनाथ।
 5. वायु स्वरूप शेषनाग - अचलनाथ।
 6. आकाश स्वरूप गणेश - गजकैथाडीनाथ।
 7. वनस्पति स्वरूप चन्द्रमा - औरंगीनाथ।
 8. माया स्वरूप करुणामय - मत्स्येन्द्रनाथ।
 9. अलस्य स्वरूप अयोनिशंकर - त्रिनेत्र गोरक्षनाथ।
 10. भूमि तत्त्व जल तत्त्व अग्नि तत्त्व वायु तत्त्व, ब्रह्म तत्त्व भयोम तत्त्व विष्णु तत्त्व गौरी।
 11. सनकादि सिद्धि तत्व आनंद प्रसिद्धि तत्व, नारद सुरेश तत्व शिव तत्व गौरी।।



12. नाग और किन्नर को तत्व देख्यो शेष
13. महेश तत्व नेति नेति जोरी
14. तत्वन के तत्व जग जीवन श्री कृष्णचन्द्र,
15. कृष्ण कोहू तत्व बृजभान की किशोरी।
रा - रा-राधा / रामेश्वरम !
म - माधव / महेश्वरम !

3000 साल से भी ज्यादा पुरानी अनंत पद्मनाभस्वामी की मूर्ति

पिकी कुंडू
3000 साल से भी ज्यादा पुरानी अनंत पद्मनाभस्वामी की मूर्ति 7800 किलो शुद्ध सोने, 780,000 सैरों और 780 क्रेट सैरों से बनी है। इसकी वर्तमान कीमत खरबों में आंकी गई है, लेकिन विशेषज्ञों और गिन्यायकों का कहना है कि इसकी असली कीमत का अंदाजा लगाना नामुमकिन है।
मूर्ति का न्यूयॉर्क करने के लिए फ्रांस से विशेषज्ञों की एक टीम को आमंत्रित किया गया था, लेकिन वे हेरान लेकर लौट गए, क्योंकि उनकी कीमत का आकलन नहीं हो सका। इस मूर्ति के दर्शन करना एक बड़ा सौभाग्य है और निभाकर ही मिल सकता है।



- जो लोग इसे प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकते, वे भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं जिस तरह हम देवताओं की मूर्तियों या चित्रों की पूजा करते हैं क्योंकि हम उन्हें प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकते, उसी तरह इस मूर्ति का जोरी वीडियो भी उसी उद्देश्य को पूरा करता है।
मुख्य बिंदु:
1. 7800 किलो शुद्ध सोना
2. 780,000 सैरें
3. 780 क्रेट सैरें
4. 3000 साल से ज्यादा पुराने
5. अनुमानित लुच्य: खरबों
6. सही मूल्य की गणना करना असंभव

कलियुग के अष्ट चिरंजीवी (आठ अमर व्यक्ति) हैं: अश्वत्थामा, राजा बलि, ऋषि व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम और ऋषि मार्कण्डेय

पिकी कुंडू
यह माना जाता है कि इनका नित्य स्मरण करने से व्यक्ति को दीर्घायु और स्वस्थ जीवन प्राप्त होता है।
1. अश्वत्थामा: गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र, जिन्होंने भगवान कृष्ण ने कल्पान्त तक जीवित रहने का श्राप दिया था।
2. राजा बलि: धार्मिकता और भक्ति के प्रति अपने समर्पण के कारण चिरंजीवी हुए।
3. ऋषि व्यास: महाभारत के लेखक और संकलक माने जाते हैं।
4. हनुमान: भगवान राम के परम भक्त, जिन्होंने कलियुग में भी धर्म की रक्षा के लिए


कलियुग में अष्ट चिरंजीवी

व्यास	हनुमान
विभीषण	महाबली (बली)
अश्वत्थामा	मार्कण्डेय
कृपाचार्य	परशुराम

पतिव्रता धर्म की अद्भुत महिमा: सती अनुसूया और त्रिदेवों की बाल-लीला

पिकी कुंडू
जब तीनों लोकों की देवियों—श्री लक्ष्मी जी, श्री सती जी और श्री सरस्वती जी—को अपने पतिव्रत पर अभिमान हुआ, तब भगवान ने अपनी परम भक्त माता अनुसूया का मान बढ़ाने के लिए एक अद्भुत लीला रची। देवर्षि नारद के माध्यम से तीनों देवियों को यह भान कराया गया कि चित्रकूट में रहने वाली महर्षि अत्रि की पत्नी, माता अनुसूया, से बढ़कर कोई पतिव्रता नहीं है।
त्रिदेवों की परीक्षा और माता का तप तीनों देवियों के हठ पर, ब्रह्मा, विष्णु और महेश मुनि का वेष धारण कर महर्षि अत्रि के आश्रम पहुँचे। उन्होंने माता अनुसूया से एक असंभव

और धर्म-संकट में डालने वाली भिक्षा मांगी — “विवस्त्र होकर हमारा आतिथ्य करो।”
सतीत्व का चमत्कार माता अनुसूया ने अपने सतीत्व के तेज से जान लिया कि ये साधारण मुनि नहीं, बल्कि त्रिदेव हैं जो उनकी परीक्षा लेने आए हैं। उन्होंने अपने पति के चरणों का ध्यान किया और कहा: रयदि मैं सच्ची पतिव्रता हूँ और मैंने कभी भी काम-भाव से किसी पर-पुरुष का चिन्तन नहीं किया हो, तो आप तीनों छह-छह माह के शिशु बन जाएं !
माता का इतना कहना था कि सृष्टि के रचयिता, पालनहार और संहारक—तीनों देव तत्काल छह-छह महीने के प्यारे शिशु बन गए !



माता अनुसूया ने वात्सल्य भाव से उन्हें अपना स्तनपान कराया और पालने में जुलाया। त्रिदेव माता के प्रेम के बंदी बन गए।
देवियों का नतमस्तक होना और दत्तात्रेय का जन्म जब पतिव्रता की कोई खोज-खबर न मिली, तो तीनों देवियों आश्रम पहुँचीं। वहाँ का दृश्य देखकर वे दंग रह गईं और माता अनुसूया से क्षमा मांगी। माता ने त्रिदेवों को उनका पूर्व रूप लौटाया। प्रसन्न होकर त्रिदेवों ने अपने अंश से उनके यहाँ पुत्र रूप में जन्म लेने का वरदान दिया, जिसके फलस्वरूप भगवान दत्तात्रेय का अवतार हुआ।
यह कथा सिद्ध करती है कि सच्चे पतिव्रत और निश्चल भक्ति के आगे साक्षात् ईश्वर भी शिशु बनकर खेलने लगते हैं। माता अनुसूया के चरणों में कोटि-कोटि नमन !

ब्रज के सभी प्राचीन लीला स्थलों का संरक्षण करना ब्रजवासियों का परमकर्तव्य : महामंडलेश्वर स्वामी विज्ञानानंद सरस्वती महाराज

श्रीधाम वृन्दावन पधारे वयोवृद्ध सन्त स्वामी विज्ञानानंद सरस्वती महाराज (हरिद्वार) को साहित्य संस्कृति मंत्री श्री, रघुप्री रत्नर डॉ. गोपाल चतुर्वेदी ने किया सम्मानित

परिवहन विशेष न्यूज

वृन्दावन। रतन छतरी-कालीदह रोड़ स्थित गीता विज्ञान कुटीर में वेदांत उपदेशक, श्रीमद्भगवद गीता के प्रकांड विद्वान, वयोवृद्ध व प्रख्यात संत गीता विज्ञान पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर स्वामी विज्ञानानंद सरस्वती महाराज (हरिद्वार) अपनी धार्मिक यात्रा पर श्रीधाम वृन्दावन आए हुए हैं। यहां उन्होंने विश्वविख्यात ठाकुर श्रीबांके बिहारी महाराज के दर्शन किए। साथ ही कई प्रख्यात संतों, धर्माचार्यों व प्रतिष्ठित व्यक्तियों से मुलाकात कर धर्म-आध्यत्म व अन्य विषयों पर विचार-मंथन किया।

महामंडलेश्वर स्वामी विज्ञानानंद सरस्वती महाराज ने कहा कि ब्रज मंडल की पावन भूमि अत्यंत पावन व पुनीत है। ये वही भूमि है, जहां योग-योगेश्वर भगवान श्रीकृष्ण ने अवतार लेकर अपनी अनगिनत लीलाएं की। ब्रज भूमि में आज भी ऐसे अनेकों प्राचीन मन्दिर, वन-उपवन, सरोवर व धार्मिक स्थल हैं, जहां भगवान श्रीकृष्ण और श्रीराधा रानी की लीलाओं के प्रत्यक्ष प्रमाण मौजूद हैं। प्रभु के उन सभी प्राचीन लीला स्थलों का संरक्षण करके यथावत बनाए रखना ही समस्त ब्रजवासियों का परमकर्तव्य है। उन्होंने कहा कि आधुनिक युग में हमारे समाज के तमाम लोग अपनी प्राचीन संस्कृति, धर्म ग्रंथों व कर्तव्यों से



विमुख होते जा रहे हैं। ऐसे में हमारे सन्तों, ब्राह्मणों व समस्त धर्माचार्यों को चाहिए कि, वे समस्त सनातन धर्मा-वर्तुणियों को उनके कर्तव्यों, वेदों व संस्कृति से आत्मसात कराएं। साथ ही प्रभु भक्ति से जोड़कर उनके कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें।

पूज्य महाराज श्री ने कहा कि निष्कामता परमार्थ के सभी साधनों की जननी है। अतः हम सभी को अपने कार्य-निष्काम भाव से करने चाहिए। साथ ही जगत से समता व परमात्मा से ममता रखनी चाहिए। संसार व शरीर को अपना मानना सभी पापों का मूल है। अतः संसार के सभी प्राणियों की सेवा, ईश्वर से प्रेम तथा स्वयं को त्याग

करना चाहिए। साथ ही हम सभी को संयम, सेवा, सुमिरन और सादगी का पंचामृत सदैव पान करते रहना चाहिए। कार्यक्रम के अंतगत ब्रज सेवा संस्थान के अध्यक्ष, साहित्य संस्कृति मंत्री श्री, रघुप्री रत्नर डॉ. गोपाल चतुर्वेदी ने महामंडलेश्वर स्वामी विज्ञानानंद सरस्वती महाराज को ठाकुरजी का प्रसादी पदुका ओढ़ाकर सम्मानित किया। साथ ही उन्होंने पूज्य महाराज श्री और उनके द्वारा संचालित विभिन्न सेवा प्रकल्पों की जानकारी देते हुए कहा कि महाराज श्री अपनी 113 वर्ष की आयु में भी समूचे विश्व में वेद-वेदान्त व श्रीमद्भगवद्गीता का सचन प्रचार-प्रसार कर

असंख्य व्यक्तियों को सदागं पर चलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इससे पूर्व स्वामी विज्ञानानंद सरस्वती महाराज के संरक्षण में गीता विज्ञान आश्रम, हरिद्वार से प्रकाशित त्रैमासिक पत्रिका "गीतालोक" का लोकार्पण भी हुआ।

इस अवसर पर प्रख्यात चित्रकार "यूपी रत्न" द्वारा आनंद, सनातन आस्था (नई दिल्ली) के निदेशक सुनील भारद्वाज, स्वामी हरिकेश्वर ब्रह्मचारी महाराज, स्वामी लोकेशानंद महाराज, युवा साहित्यकार डॉ. राधाकान्त शर्मा, स्वामी परमेश्वर दास महाराज, ण्डित ईश्वरचन्द्र रावत आदि की उपस्थिति विशेष रही।

सोहना की जनता के लिए महत्वपूर्ण सूचना

सोहना City Bus Service बंद को लेकर कल से Signature अभियान शुरू। उसके बाद SDM साहब को / GMDA/DC /CMO साहब को/ मंत्री जी को, जापान सौंप दिया जाएगा। पिछले कुछ दिनों से सोहना में चल रही City Bus Service बिना किसी कारण और सूचना के बंद कर दी गई है, जिससे विद्यार्थी समय पर कॉलेज/स्कूल नहीं पहुँच पा रहे हैं। महिलाओं को असुरक्षित प्राइवेट वाहनों में सफर करना पड़ रहा बुजुर्गों को अस्पताल व जरूरी कामों के लिए

परेशानी नौकरपेशा लोगों पर महंगे किराए का आर्थिक बोझ यह सिर्फ बस बंद नहीं — यह जनता की सुविधा, सुरक्षा और अधिकारों का मामला है। इसीलिए हम सोहना के लोगों के साथ मिलकर जनहस्ताक्षर अभियान (Signature Campaign) शुरू कर रहे हैं ताकि: सिटी बस सेवा तुरंत बहाल हो नियमित समय सारणी लागू हो भविष्य में बिना कारण सेवा बंद न की जाए। Signature Points रूपरेखा जल्द बताए जाएंगे।

सारा ब्रह्मांड और समस्त मानव जीवन उसी एक सर्वशक्तिमान (ईश्वर, अल्लाह, गॉड, परमेश्वर) की अद्भुत रचना है

डॉ. मुश्ताक अहमद शाह सहज हरदा मध्य प्रदेश

सारा ब्रह्मांड और समस्त मानव जीवन उसी एक सर्वशक्तिमान ईश्वर की अद्भुत रचना है, जिसे हम भाषा, धर्म और संस्कृति के अनुसार अलग-अलग नामों से पुकारते हैं, ईश्वर, अल्लाह, परमेश्वर या गॉड। परंतु यह नाम चाहे जो भी हों, उनकी सत्ता, शक्ति और प्रभाव एक समान हैं। फिर भी आज हमारे समाज में उसी एक सर्वशक्तिमान के नाम पर जाति, संप्रदाय, धर्म और विचारधारा के आधार पर भारी पैमाने पर वैमनस्य, कट्टरता, दंगे और अहिंसापूर्णता दिखाई देती है। यह व्यथा केवल उन कुछ लोगों की संकीर्ण सोच और स्वायत्त गहरी जड़ का परिणाम है, जो स्वयं लाभ के लिए पूरे समाज को बांटने, संघर्ष में धकेलने और मनुष्यों के बीच दूरियां बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जीवन एक अमूल्य उपहार है, और मृत्यु निश्चित। हमारे पास जो सीमित समय है, उसे व्यर्थ नफरत, फसाद और झूठे विवादों में बर्बाद करना कहा तक उचित है। क्या हम वास्तव में इस छोटे से जीवन को जी पा रहे हैं, या फिर किसी के स्वार्थ और तुष्टिकरण के कारण अपनी सोच, अपनी स्वतंत्रता और अपने अस्तित्व का मूल्य खो चुके हैं? इसका उत्तर हमें स्वयं ढूंढना होगा। हमारे धर्मों और संस्कृतियों की असली महानता प्रेम, सहिष्णुता, करुणा और मानवता की सेवा में निहित है। जब तक

हम इन मूल तत्वों को अपनाएंगे नहीं, तब तक हमारा जीवन आधा अधूरा, असंतुष्ट और संघर्षपूर्ण ही रहेगा। आइए हम सब जाति, धर्म और संप्रदाय की सीमाओं से परे उठकर यह देखें कि हम सभी एक ही सर्वशक्तिमान ईश्वर की संतान हैं, और हमें इस एकता को अपने जीवन और समाज की नींव बनाना चाहिए। क्योंकि यही एकता ही हमारे जीवन को सचमुच सार्थक, मूल्यवान और खुशहाल बना सकती है। अगर हम एक-दूसरे के विचारों, विश्वासों और संस्कृतियों का सम्मान करेंगे, तभी हम सच्चे मानव कहलाएंगे। यही मानवता की सच्ची विजय है। इसमें अति सीमित है, और इस अमूल्य जीवन को हम नफरत और वैमनस्य में व्यर्थ गंवाने के बजाय प्रेम और समझदारी के साथ बिताएं। तभी हम अपने-अपने धर्म और विश्वास के असली सार को पहचान पाएंगे और सामाजिक समरसता, शांति और विकास की ओर कदम बढ़ा पाएंगे। इसलिए आज यह जिम्मेदारी हम सभी की है कि हम अपने दिलों में मिलन, आदर और सद्भाव की भावना जगाएं और एक बेहतर कल बनाएं। जीवन अमूल्य है, मृत्यु एक बेहतर कल बनाए। जीवन अमूल्य है, मृत्यु निश्चित, पर हमारा प्रयास और सोच हमें अमर बना सकता है। इस सच्चाई को स्वीकार कर, प्रेम और भाईचारे के साथ चलना ही मनुष्य होने का सच्चा सीमा है।

जन्मदिवस दोहे

गांव शहर की शान है, नाम मिला शैलेन्द्र। जन्मदिवस उत्सव मने, वर्षा करें शुभेन्द्र ॥

जन्म स्थली कटनी रही, पिता बने यशवंत। लक्ष्मी माता सीख दे, प्रतिभा हो अनंत ॥

मात शारदे की दया, जीते कविता संग। ज्योतिष ज्ञाता हो गये, अंक ज्ञान के संग ॥

मात शारदे की दया, लिखें भाव्य में डूब। ज्योतिष के श्री कर्म में, पढ़ें कुंडली खूब ॥

कलाकार गुण वान है, विप्र वंश की शान। कविता लिखकर ओज पर, पाते बहु सम्मान ॥

मित्र सभी हर्षित हुये, आई आज बहार। दिये बधाई भाव से, भरकर कोटी प्यार ॥

यश वैभव बढ़ता रहे, सुखी रहें संसार। मालिक तेरी राह पर, जीवन होता पार ॥

सारी खुशियां पास हो, हर्षित हो परिवार। नेक कर्म करता रहूँ, सुरभित हो आधार ॥

शैलेन्द्र पदासी, साहित्यकार विजयराघवगढ़, कटनी एमपी



डेरा सच्चा सौदा की संगत ने जरूरतमंद परिवार को नया घर बनाकर सौंपा

परिवहन विशेष न्यूज

सुनाम उधम सिंह वाला, 9 दिसंबर (जगसीर लोगोवाल) - आज सुनाम शहर के माता मोदी चौक के पास डेरा सच्चा सौदा सिरसा की साध-संगत ने एक जरूरतमंद परिवार को नया घर बनाकर सौंप दिया।

इस संबंध में स्टेट कमेट्री के जिम्मेदार राजेश बिट्टू इंसां एवं गगन इंसां ने बताया कि पूजनीय गुरु संत डॉ. गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसां द्वारा चलाए जा रहे मानवता भलाई कार्यों के 170 सेवाकार्यों में से 27वें सेवाकार्य "असियाना मुहिम" के तहत आज सुनाम शहर के माता मोदी चौक के नजदीक एक जरूरतमंद परिवार को नया मकान बनाकर दिया गया।

उन्होंने बताया कि इस परिवार में एक विधवा माता और उनका 16 साल का बेटा है। अपने लिए नया घर बनाना उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। इस दौरान परिवार ने डेरा सच्चा सौदा की हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क किया और अपनी पूरी स्थिति से अवगत करवाया। जांच-पड़ताल के बाद परिवार को सहायता योग्य पाया गया। इसके बाद डेरा सच्चा सौदा ने ब्लॉक सुनाम की शाह सतनाम जी



ग्रीन एस वेलफेयर कमेट्री के सेवादाओं को घर बनाने का जिम्मा सौंपा। आज ब्लॉक सुनाम के सेवादाओं और साध-संगत ने मिलकर कुछ ही घंटों में यह नया घर बनाकर परिवार को सौंप दिया। जिम्मेदारों ने बताया कि सुनाम ब्लॉक में अब तक लगभग 30 जरूरतमंद परिवारों को घर बनाकर दिए जा चुके हैं। सुनाम के डेरे के सेवादाओं ने देखते-देखते कुछ ही घंटों में नया घर तैयार कर परिवार को सौंप दिया।

इस मौके पर परिवार की माता श्रीमती सिंदर कौर और उनके 16 वर्षीय बेटे अमनदीप ने आंखों में आंसू भरने के साथ डेरे के ये सेवादार उनके लिए फरिश्ते बनकर आए हैं, जिन्होंने आज उन्हें नया घर बनाकर दिया। इसके लिए वे पूजनीय गुरु संत डॉ. गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसां और डेरा सच्चा सौदा के सभी सेवादाओं का तहे-दिल से धन्यवाद करते हैं। इस अवसर पर सुनाम के लोगों

ने भी डेरा सच्चा सौदा के इस भलाई कार्य की खूब सराहना की। मौके पर कमेट्री जिम्मेदार राजेश बिट्टू इंसां, गगन इंसां, मिस्त्री पुरुषोत्तम इंसां, राजवीर इंसां, सतवीर इंसां, सतपाल इंसां, शहरी प्रेमी सेवक संदीप कोहली इंसां, गुलजार सिंह इंसां, सुरिंदर इंसां, साम लाल इंसां, रोड़ा सिंह इंसां, राज कुमार इंसां, देसा सिंह इंसां, देस राज इंसां, जोगिंदर सिंह इंसां, जीत सिंह इंसां, ओमी इंसां सहित कई अन्य सेवादार सेवा में जुटे रहे।

गोवा अग्निकांड जैसी घटनाएं भ्रष्टाचार की गहरी जड़ों, प्रशासनिक लापरवाही, लाइसेंसों की अवैध खरीद-फरोख्त और निरीक्षण एजेंसियों की मिलीभगत का दुष्परिणाम? - एक समग्र विश्लेषण

भीड़भाड़ वाले प्रतिष्ठानों में सुरक्षा संकट - भ्रष्टाचार की मिलीभगत की संरचनात्मक भूमिका - भीड़भाड़ वाले कमर्शियल प्रतिष्ठानों में बढ़ती खतरा, भ्रष्टाचार की गहरी जड़ों का परिणाम? - जिलाधीश आधारित निगरानी व्यवस्था की अनिवार्यता

जर्नली - एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र

वैश्विक स्तर पर भारत तेजी से शहरी विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार और जनसंख्या की बढ़ती आर्थिक भागीदारी के दौर से गुजर रहा है, जिसके परिणामस्वरूप देश के लगभग 780 जिलों में विशाल संख्या में मॉल, मल्टी-स्टोरी बिल्डिंगें, होटल, रेस्टोरेंट, नाइट क्लब, सिनेमाहॉल, सुपर बाजार, कॉचिंग संस्थान, स्कूल, कॉलेज और मनोरंजन केंद्रों का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। इन स्थानों पर प्रतिदिन हजारों-लाखों नागरिक आते हैं, जो आधुनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। लेकिन इसी विकास की यात्रा के भीतर एक गंभीर प्रश्न भी मौजूद है, भ्रष्टाचार, गैर-जवाबदेही, फायर-सेफ्टी की अनदेखी और प्रशासनिक निरीक्षण की कमी, जो कई बार बड़े हादसों का कारण बन जाती है। मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूँ कि हाल ही में गोवा के नाइट क्लब में लगी भयंकर आग, जिसमें 25 लोगों की मृत्यु हुई, इस समस्या का चरम उदाहरण है। इस हादसे ने यह उजागर कर दिया कि देश के अनेक जिलों में बड़ी संख्या में ऐसे व्यावसायिक प्रतिष्ठान सक्रिय हैं, जिनके पास न तो वैध फायर-सेफ्टी प्रमाणपत्र हैं, न बिल्डिंग बायलॉज/राज्य स्वीकृति, न ही नगर परिषद/महानगर पालिका/राज्य सरकार द्वारा जारी आवश्यक लाइसेंस। यह स्थिति केवल प्रशासनिक लापरवाही का परिणाम नहीं है, बल्कि भ्रष्टाचार की गहरी जड़ों, लाइसेंसों की अवैध खरीद-फरोख्त, और निरीक्षण एजेंसियों की मिलीभगत का

दुष्परिणाम है। जिस प्रकार गोवा के नाइट क्लब को बिना उचित सुरक्षा प्रोटोकॉल के चलते दिया गया, उसी प्रकार देश के विविध हिस्सों में भीड़भाड़ वाले संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा मानकों का खुला उल्लंघन आम हो चुका है, जिसे रोकने के लिए अब कलेक्टर-स्तर पर स्वतः संज्ञान आधारित निरीक्षण व्यवस्था लागू करना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता बन चुका है।

साथियों बात अगर हम भीड़भाड़ वाले प्रतिष्ठानों में सुरक्षा संकट और भ्रष्टाचार की संरचनात्मक भूमिका को समझने की करें तो, भारत में एक ओर जहां आधुनिक मॉल, कैफे, मल्टीप्लेक्स और मनोरंजन केंद्र शहरों की पहचान बन रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इन प्रतिष्ठानों की सुरक्षा स्थिति भयावह रूप से कमजोर पाई जाती है। कई जिलों में यह पाया गया है कि (1) फायर-सेफ्टी ऑडिट वर्षों तक नहीं हुए, (2) आपातकालीन निकास अवरुद्ध हैं, (3) फायर-अलार्म और स्प्रिंकलर कार्यरत नहीं। (4) बिल्डिंग बायलॉज का पालन न्यूनतम, (5) ओवरलोडेड इलेक्ट्रिकल वायरिंग, (6) अवैध निर्माण और अवैध विस्तार, (7) बिना अनुमति नाइट क्लब, बार, बेसमेंट रेस्टोरेंट और कॉचिंग केंद्र संचालन, (8) और सबसे चिंताजनक- भ्रष्टाचार के चलते फर्जी लाइसेंस जारी करना। भारतीय नगर प्रशासन या स्थानीय निकायों में भ्रष्टाचार नई बात नहीं है, लेकिन जब यह भ्रष्टाचार नागरिक जीवन के मूलभूत अधिकार, सुरक्षित वातावरण को खतरों में डाल दे, तब यह केवल रिस्क आम मसला नहीं रहता, बल्कि नागरिकों की हत्या नरसंहार जैसी परिस्थितियों को जन्म देने वाली संरचनात्मक विफलता बन जाता है। गोवा की घटना हो या दिल्ली के मुंडका फायर हादसा, मुंबई का कम्पला मित फायर, सूत का कॉचिंग सेंटर मामला, हर घटना के पीछे एक सामान्य कारण दिखाई देता है: भ्रष्टाचार के बदले मिले फर्जी प्रमाणपत्र और नियमों के क्रियान्वयन में गहरी प्रशासनिक

उदासीनता? भारत में नागरिक सुरक्षा अधिनियम, फायर सेवा अधिनियम, नगर बायलॉज और राष्ट्रीय भवन संरचना जैसे कानून मौजूद हैं, लेकिन जब इन कानूनों के पालन की जिम्मेदारी संभालने वाला निचला-मध्यम प्रशासन ही भ्रष्टाचार में संलग्न हो जाए, तो सुरक्षा व्यवस्था केवल कागजी बनकर रह जाती है। इसलिए यह मॉडल अब अप्रभावी माना जा रहा है और आवश्यक है कि निरीक्षण का अधिकार सीधे जिलाधिकारी /कलेक्टर के हाथों में आए, जो जिले का सर्वोच्च कार्यपालिका अधिकारी होता है और भ्रष्टाचार-रोधी शक्तियाँ भी रखता है।

साथियों बात अगर हम कलेक्टर द्वारा स्वतः संज्ञान आधारित आकस्मिक निरीक्षण की अपरिहार्यता को समझने की करें तो, प्रत्येक जिले में कलेक्टर स्वयं आकस्मिक निरीक्षण करें, वह वर्तमान भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में एक अत्यंत व्यवहार्य, प्रभावी और नागरिक-हितकारी समाधान है। इसका कारण स्पष्ट है (1) कलेक्टर भ्रष्टाचार-रोधी शक्तियों से लैस होता है। (2) स्थानीय निकाय, नगर परिषद या निगम पर होने वाले राजनीतिक दबाव का प्रभाव कलेक्टर पर कम पड़ता है। (3) स्वतः संज्ञान लेने की शक्ति के कारण कलेक्टर किसी भी संस्था पर तात्कालिक जांच और कार्रवाई कर सकता है। (4) आकस्मिक निरीक्षण भ्रष्टाचार की रीढ़ तोड़ने वाला सबसे प्रभावी उपाय है। (5) कलेक्टर की निरीक्षण सेवा विभाग, नगर निगम या लाइसेंसिंग अधिकारी के कारण बड़े व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को नियमों के उल्लंघन के बावजूद 'क्लीन चिट' दे देते हैं। ऐसे में यदि कलेक्टर हर जिले में मॉल, होटल, नाइट क्लब, बड़े रेस्टोरेंट मल्टीप्लेक्स सुपर बाजार, स्कूल/कॉलेज, कॉचिंग सेंटर, और उच्च भीड़-

घनत्व वाली इमारतों का स्वतः संज्ञान लेकर निरीक्षण करें, तो नागरिक सुरक्षा का स्तर कई गुना बढ़ सकता है। कलेक्टर-स्तरिय निरीक्षण से यह भी सुनिश्चित होगा कि फर्जी सर्टिफिकेट रखने वाले प्रतिष्ठानों की तुरंत पहचान की जाए और उन पर दंडात्मक कार्रवाई हो। गोवा हादसा इसी बात का प्रमाण है कि यदि जिला प्रशासन सक्रिय रूप से ऐसे प्रतिष्ठानों पर समय-समय पर निगरानी करता, तो शायद 25 निर्योग्य नागरिकों की जान बच सकती थी।

साथियों बात अगर हम भीड़-उपस्थितियों वाले प्रतिष्ठानों पर अनिवार्य नियमित निरीक्षण: एक नई राष्ट्रीय नीति की आवश्यकता इसको समझने की करें तो, प्रत्येक जिले में सभी ऐसे प्रतिष्ठानों पर जहाँ बड़ी संख्या में आम जनता एकत्रित होती है, नियमित निरीक्षण व्यवस्था लागू की जानी चाहिए। यह निरीक्षण त्रैमासिक, अर्धवार्षिक अथवा वार्षिक न होकर व्यवस्था के प्रकार, भीड़ की मात्रा, जोखिम स्तर और भवन संरचना के आधार पर होना चाहिए। उदाहरण के लिए, नाइट क्लब, बार, बेसमेंट रेस्टोरेंट मासिक निरीक्षण, मल्टीप्लेक्स, मॉल, भीड़भाड़ बाजार हर तीन माह में निरीक्षण, स्कूल, कॉलेज, कॉचिंग सेंटर सत्रारंभ से पहले अनिवार्य निरीक्षण होना और गैर-सुरक्षित इमारतों को प्रवेश न करने देना।

साथियों बात अगर हम लाइसेंस उल्लंघन, अवैध संचालन और गैर-अनुपालन पर कठोर कार्रवाई इसको समझने की करें तो, बिना अनुमति या नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों पर तत्काल लाइसेंस रद्द किया जाए, अधिकार अधिकार-अधिकार आधारित मांगें। भारत में कई बार देखा गया है कि अवैध ढंग से संचालित प्रतिष्ठान- (1) राजनीतिक संरक्षण, (2) पुलिस/नगर निकाय भ्रष्टाचार, (3) या सिस्टम की दिलाई, के कारण वर्षों तक चलते रहते हैं।

चाहिए ताकि जनता खुद जान सके कि उनके जिले के प्रतिष्ठानों में कौन-कौन से सुरक्षा प्रमाणपत्र प्राप्त किए हैं। साथियों बात अगर हम सुरक्षा नियमों के पालन की सार्वजनिक भाषण इंडिया सेफ्टी चार्ट का अनिवार्य प्रदर्शन इसको समझने की करें तो, विश्व के कई देशों में, जैसे सिंगापुर, जापान, कनाडा और जर्मनी, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को एक पब्लिक सेफ्टी चार्ट प्रदर्शित करना अनिवार्य होता है। भारत में भी ऐसा मॉडल अपनाने का समय आ चुका है। इस भारत सुरक्षा चार्ट / इंडिया सेफ्टी कम्प्लायंस चार्ट में निम्नलिखित जानकारी शामिल होनी चाहिए- (1) अंतिम फायर सेफ्टी प्रमाणन की तिथि (2) बिल्डिंग बायलॉज अनुपालन स्तर (3) इमरजेंसी निकास योजना (4) अग्निशमन उपकरणों की क्षमता व स्थिति (5) अधिनियमों के अंतर्गत उठाए गए सुरक्षा कदम (6) स्वच्छता और विद्युत सुरक्षा जांच की तिथि (7) कलेक्टर अथवा अधिकृत अधिकारी का डिजिटल सत्यापन, इस चार्ट को रेस्टोरेंट, मॉल, होटल, थिएटर, संस्थानों व नाइट क्लब के प्रवेश द्वार पर अनिवार्य रूप से लगाया जाना चाहिए, ताकि नागरिक स्वयं जान सकें कि जिस स्थान पर वे जा रहे हैं, वह सुरक्षित है या नहीं। यदि कोई प्रतिष्ठान इस चार्ट को प्रदर्शित नहीं करता, तो उसे स्वतः जोखिम-श्रेणी में रखा जाए और कलेक्टर कार्रवाई करें।

साथियों बात अगर हम लाइसेंस उल्लंघन, अवैध संचालन और गैर-अनुपालन पर कठोर कार्रवाई इसको समझने की करें तो, बिना अनुमति या नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों पर तत्काल लाइसेंस रद्द किया जाए, अधिकार अधिकार-अधिकार आधारित मांगें। भारत में कई बार देखा गया है कि अवैध ढंग से संचालित प्रतिष्ठान- (1) राजनीतिक संरक्षण, (2) पुलिस/नगर निकाय भ्रष्टाचार, (3) या सिस्टम की दिलाई, के कारण वर्षों तक चलते रहते हैं। जबकि वे हजारों लोगों की जान खतरों में डालते हैं। यदि कलेक्टर स्तर पर निम्न नीतियाँ लागू की जाएं- (1) पहली बार में ₹10 लाख तक का जुर्माना +15 दिन का निलंबन (2) दूसरी बार में लाइसेंस का स्थायी रद्दीकरण (3) तीसरी बार में अपराधिक मुकदमा (आईपीसी 304, 336, 337, 338 के तहत) तो ऐसे अपराधों पर अंकुश लगेगा। नियमों का उल्लंघन केवल प्रशासनिक गलती नहीं है, यह सीधे-सीधे जीवन को खतरों में डालने की साजिश है, जो गंभीर दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। कलेक्टर यदि इसपर कड़ाई से कार्रवाई करें, तो भ्रष्टाचार की श्रृंखला स्वतः टूट जाएगी।

साथियों बात अगर हम भ्रष्टाचार इन सभी हादसों की जड़ का कारण है इसको समझने की करें तो, जनता जानती है, ऐसी लापरवाही बिना नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार की मिलीभगत के संभव ही नहीं। यह एक संरचनात्मक समस्या है, जिसमें शामिल होते हैं- निरीक्षण अधिकारी, लाइसेंस जारी करने वाले अधिकारी, स्थानीय निकाय कर्मचारी, राजनीतिक दबाव, भ्रष्ट उद्येद्वार और बिल्डर और कभी-कभी पुलिस जब भ्रष्टाचार नियमों का स्थान ले लेता है तो, (1) आग सुरक्षा कागजों में पास हो जाती है, (2) लाइसेंस रिश्वत के आधार पर जारी हो जाता है, (3) निरीक्षण रिपोर्ट फर्जी तैयार हो जाती है, (4) अवैध निर्माण को अनदेखा कर दिया जाता है, (5) और किसी दुर्घटना से पहले कोई कार्रवाई नहीं होती। गोवा का नाइट क्लब हादसा इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है, जहाँ, (1) अवैध विद्युत कनेक्शन, (2) फर्जी लाइसेंस, (3) ओवर-कैपेसिटी भीड़, (4) आपातकालीन निकास बंद, और (5) फायर सिस्टम गैर-कार्यशील, जैसी खामियाँ बाद में सामने आईं। यह सब केवल एक ही चीज की ओर इशारा करता है- भ्रष्टाचार और प्रशासनिक उदासीनता।

कमजोर विपक्ष के लिए कौन जिम्मेदार है ?

राजेश कुमार पासी

संघीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष उतना ही जरूरी है जितना कि सत्तापक्ष जरूरी है। अगर विपक्ष नहीं है तो लोकतंत्र भी नहीं है। अगर किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष ज्यादा कमजोर हो जाता है तो सत्तापक्ष के तानाशाह बनने का डर पैदा हो जाता है। जब से मोदी सत्ता में आये हैं, विपक्ष और मीडिया का एक वर्ग उन पर तानाशाही का आरोप लगाता रहता है। वास्तव में स्थिति इसके विपरीत है। मोदी बेहद उदारवादी नेता हैं। उन्होंने अपने 11 साल के कार्यकाल में विपक्ष की राज्य सरकारों के प्रति बेहद उदारवादी रवैया अपनाया है। कई बार ऐसे मौके आये जब वो विपक्ष की सरकारों को भंग करके राष्ट्रपति शासन लगा सकते थे लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। विपक्ष के कई मुख्यमंत्रियों ने उनके साथ उचित व्यवहार नहीं किया लेकिन मोदी ने कभी किसी मुख्यमंत्री के खिलाफ बदले की कार्यवाही नहीं की। वास्तव में मोदी अगर तानाशाही करते तो विपक्ष इतना कमजोर नहीं होता जितना अब नजर आ रहा है। मोदी की उदारता ही विपक्ष की कमजोरी का बड़ा कारण है जिसे विपक्ष समझ नहीं पा रहा है।

विपक्ष ये समझ ही नहीं पा रहा है कि क्यों देश में सत्ताविरोधी लहर की जगह सत्ता के पक्ष में लहर चल रही है। भाजपा बड़े धैर्य के साथ सकारात्मक विचारधारा और राष्ट्रवादी रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है। मोदी के नेतृत्व में भाजपा अपनी बड़ी लाइन खींच रही है जो दिनोदिन बढ़ती जा रही है। विपक्ष अपनी लाइन खींचने की जगह भाजपा की लाइन को

छोटा करने के प्रयास में लगा रहता है। विपक्ष की यही नकारात्मक सोच उसे लगातार कमजोर करती जा रही है। सच तो यह है कि प्रधानमंत्री मोदी भी चाहते होंगे कि विपक्ष इतना कमजोर न हो जाये कि भाजपा तानाशाही की ओर चल पड़े क्योंकि इसके बाद भाजपा की बर्बादी शुरू हो जाएगी। देश की जनता भी कमजोर विपक्ष नहीं चाहती है, इसलिए विपक्ष की कमजोरी उसे भी चुभ रही है। विपक्ष की कमियों को नजरअंदाज करके अभी भी देश का बड़ा वर्ग उसके साथ खड़ा हुआ है। इसके बावजूद देश की राजनीति का सच यह है कि विपक्ष धीरे-धीरे कमजोर होता जा रहा है। भाजपा विपक्ष की कमजोरी से सतर्क है। वो चाहती है कि विपक्ष इस तरह से कमजोर होता चला जाये लेकिन वो लड़ता हुआ दिखाई देता रहे। वास्तव में भाजपा जानती है कि विपक्ष को खत्म करने का मतलब है राजनीति में शून्य पैदा करना। भाजपा ये कभी नहीं चाहती है। राजनीति में शून्य कभी नहीं रहता। अगर शून्य पैदा हो जाता है तो जनता उसका विकल्प लेकर आ जाती है। भाजपा नहीं चाहती कि इस विपक्ष के विकल्प का उसको सामना करना पड़े क्योंकि इससे बढ़िया विपक्ष उसे मिलने वाला नहीं है।

2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों की अपेक्षा 2024 में मजबूत विपक्ष चुनकर जनता ने भेजा है। अजीब बात यह है कि 235 लोकसभा सीटें जीतने वाला विपक्ष एक अल्पमत वाली सरकार के सामने बहुत कमजोर नजर आ रहा है। भारत की राजनीति में एक अजूबा हो रहा है लेकिन विपक्ष इसे समझ नहीं पा रहा है। बात सिर्फ कमजोर विपक्ष की नहीं है बल्कि यह है कि ये दिनोदिन कमजोर हो रहा

है। कई मायनों में 1984 की दो सीट वाली भाजपा से ज्यादा कमजोर 99 सीटों वाली कांग्रेस दिखाई दे रही है। इसकी वजह यह है कि कांग्रेस के मजबूत होने की संभावना लगभग खत्म हो चुकी है। बेशक कांग्रेस की 99 सीटें हैं लेकिन वो ऐसी हालत में आ गई है कि उसके दोबारा खड़े होकर सत्ता की लड़ाई में शामिल होने की संभावना दूर-दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। जब भविष्य अंधकारमय दिखाई देने लगे तो वर्तमान का महत्व खत्म हो जाता है। कभी भाजपा के बारे में सोचकर ये लगता था कि ये पार्टी अकेले दम पर सरकार नहीं बना पाएगी लेकिन आज ये बात कांग्रेस के बारे में कही जा सकती है। दोनों दलों की स्थिति में अंतर यह है कि तब भाजपा ऊपर की ओर जा रही थी लेकिन कांग्रेस आज नीचे की ओर जा रही है।

अगर बात सिर्फ कांग्रेस तक सीमित होती तो भी विपक्ष की कमजोरी चिंता का विषय नहीं थी लेकिन दूसरे दलों के भी हालात बेहतर नहीं हैं। कांग्रेस के अलावा कोई और राजनीतिक दल ऐसा नहीं है जिसकी एक से ज्यादा राज्यों में सरकार चल रही हो। समस्या यह है कि ज्यादातर विपक्षी दलों की कमान वंशवादी नेताओं के हाथ में है और वो इन्हें विरासत में मिली हुई है। ममता बनर्जी विपक्ष की एकमात्र नेता हैं, जिन्होंने अपने दम पर संघर्ष करके पार्टी खड़ी की और 14 सालों से लगातार सत्ता में हैं। अगले साल होने जा रहे लोकसभा चुनावों में उनकी सत्ता को भी भाजपा से बड़ी चुनौती मिलने वाली है। पंजाब में भावत मान वेशक आम आदमी पार्टी के गैर-वंशवादी मुख्यमंत्री हैं लेकिन वो केजरीवाल की मेहरबानी से सत्ता में आये हैं। अखिलेश यादव को उनके पिता मुलायम

सिंह यादव ने चुनाव जीतकर सत्ता सौंपी थी लेकिन उनके नेतृत्व में पार्टी दो विधानसभा चुनावों में हार चुकी है और अगले चुनाव में भी कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। तेजस्वी यादव पिछले दो विधानसभा चुनाव से संघर्ष कर रहे हैं लेकिन सत्ता उनसे दूर नजर आ रही है। अब उन्हें अगले चुनावों में अपने पिता लालू प्रसाद यादव की मदद मिलने की भी उम्मीद खत्म हो गई है।

बिहार के चुनाव में विपक्ष की कमजोरी खुलकर सामने आई है। जिस तरह से महागठबंधन ने चुनाव लड़ा, उससे साबित हो गया कि भाजपा के सामने विपक्ष कितना कमजोर है। विपक्ष ने जिस तरह चुनाव लड़ा, उससे साबित होता है कि देश की जनता आज भी विपक्ष पर मेहरबान है अन्धधृति ने वोट उसे नहीं मिलने चाहिए थे। महागठबंधन का कोई सर्वमान्य नेता नहीं था और न ही एक रणनीति थी। यहां तक कि कई सीटों पर इसके घटक दल एक दूसरे के सामने खड़े थे। महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी अपने अस्तित्व की जंग लड़ रही थी, इसलिए कोई सकारात्मक संदेश नहीं दे पाई। एनडीए के मुकाबले महागठबंधन ने ऐसे वादे किए जिन्हें पूरा करना संभव था जिसने उसकी विश्वसनीयता खत्म कर दी। एक तरफ भाजपा बिहार की जनता को लालू यादव के जंगलराज का डर दिखा रही थी, तो दूसरी तरफ राजद के कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने आक्रामक चुनाव प्रचार से जनता को जंगलराज की याद दिला दी। चुनाव शुरू होने से पहले यह महसूस किया जा रहा था कि जनता बिहार में बदलाव चाहती है लेकिन महागठबंधन ने अपनी गलतियों से हाथ में

आती सत्ता को छोड़ दिया।

बिहार चुनाव की हार विपक्ष के भविष्य के लिए बहुत घातक साबित होने वाली है। बिहार में मिली शर्मनाक पराजय के बाद विपक्ष के दूसरे दल कांग्रेस से दूरी बनाते हुए दिख रहे हैं। ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि झारखंड में हेमंत सोरेन कांग्रेस से गठबंधन तोड़कर भाजपा से हाथमिला सकते हैं। बंगाल में ममता बनर्जी अकेले चुनाव लड़ना चाहती हैं। इससे इंडिया गठबंधन को चोट लगना स्वाभाविक है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे का मूड भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। केजरीवाल पहले ही कांग्रेस के खिलाफ खड़े दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के बीच मुस्लिम वोटों को लेकर खींचतान स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी है। वास्तव में विपक्षी दल अपने अस्तित्व की जंग लड़ रहे हैं, उनके लिए सामूहिक संघर्ष और निजी संघर्ष में चुनाव मुश्किल होता जा रहा है। वंशवादी राजनीति के कारण विरासत में मिली राजनीतिक ताकत को संभालने की कुव्वत विपक्ष के नेताओं में दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि उन्हें इस ताकत को पाने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ा है। ममता बनर्जी को सिर्फ बंगाल की चिंता है तो अखिलेश यादव को उत्तरप्रदेश की चिंता है। स्टालिन तमिलनाडु से आगे नहीं देख सकते, केजरीवाल तय नहीं कर पा रहे हैं कि वो गठबंधन का क्या करें।

विपक्ष का दुर्भाग्य है कि उसका मुकाबला मोदी और अमित शाह की जोड़ी से है जो बड़ी लंबी रणनीति के तहत भाजपा का नेतृत्व कर रहे हैं। इसके अलावा संघ भाजपा को बड़ी मदद कर रहा है। लंबे संघर्ष के बाद सत्ता के शीर्ष पर पहुंचे मोदी का मुकाबला उन

नेताओं से है जो संघर्ष का मतलब ही नहीं जानते। विपक्ष के नेता अपने स्वार्थों को छोड़कर सामूहिक संघर्ष के लिए साथ आने को तैयार नहीं हैं। सत्ता मिलने के बाद आपसी संघर्ष समझ आता है लेकिन सत्ता मिलने से पहले संघर्ष विपक्ष की एकता के लिए घातक साबित हो रहा है। विपक्ष के नेताओं के इस संघर्ष के कारण लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन में बिखराव आ गया था। नीतीश कुमार ने एनडीए का मुकाबला करने के लिए इंडिया गठबंधन बनाया था लेकिन विपक्षी दलों की खींचतान के कारण वो इस गठबंधन को छोड़कर एनडीए के साथ चले गए। अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्षी एकता कायम रहती तो भाजपा के लिए बड़ी समस्या खड़ी हो सकती थी। विपक्ष को यह नहीं भूलना चाहिए कि जनता तब तक सत्ता परिवर्तन के लिए वोट नहीं देगी जब तक कि उसे वर्तमान सत्ता का बेहतर विकल्प न दिखाई दे। विपक्ष अगर भाजपा का मुकाबला करना चाहता है तो सारे मतभेद भुलाकर साथ आना होगा। लोकतंत्र और संविधान की रक्षा का दावा करना तब तक बेमानी है जब तक कि सभी दल एक साथ नहीं आते। कहने को विपक्षी दल भाजपा से लड़ रहे हैं लेकिन उनकी आपसी लड़ाई भी कम नहीं है। विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, लेकिन उसके नेता राहुल गांधी को विपक्षी नेता अपना नेता नहीं मानते हैं। विपक्ष की ये कमजोरी भी उसे भारी पड़ रही है, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी का नेता ही गठबंधन का नेता बनना चाहिए। विपक्ष लगातार कमजोर हो रहा है क्योंकि वो अपनी कमजोरी के लिए भाजपा को दोष दे रहा है।

10 दिसम्बर: विश्व मानव अधिकार दिवस विश्व मानव अधिकार दिवस: अब चुप्पी भी गुनाह है

प्रो. आरके जैन "असिजीत"

आज फिर वही सवाल लौट आया है, बिना दस्तक दिए, सीधा गले पर हाथ रखकर - आप जिंदा है या सिर्फ सांस ले रहे हैं? 1948 में पेरिस ने "सब इंसान बराबर और आजाद हैं" लिखकर मानवता के नाम एक वादा किया था। मगर 2025 का भारत एक चुपता हुआ सवाल पूछ रहा है - क्या हम वाकई उस वादे को निभा रहे हैं, या हमारी चुप्पी ही अन्याय की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है? यह दिन हमें झकझोरने आया है, क्योंकि अब सिर्फ अत्याचार ही अपराध नहीं; अत्याचार देखकर चुप रह जाना भी उतना ही बड़ा गुनाह है।

आज जब हम मानव अधिकार दिवस मनाते हैं, तो यह उत्सव नहीं - एक मुकदमा है, और कटघरे में हम खुद खड़े हैं। जब हाथरस की बेंचों को रात के अंधेरे में मिट्टी में दबा दिया जाता है, जब मणिपुर में औरतों का सम्मान तार-तार होता है, जब कश्मीर में एक बच्चा शक के नाम पर मारा जाता है, और दिल्ली में एक लड़की को उसकी शकल की वजह से "चिकी" कहा जाता है - तब मानवाधिकार किसी दस्तावेज नहीं, बल्कि ज़ख्म बनकर सामने आते हैं। उस समय 30 अनुच्छेद किसी पुस्तक में नहीं, बल्कि इस देश की सड़कों, घरों और अदालतों में रोते हुए दिखाई देते हैं।

भारत में मानवाधिकार कोई सैद्धांतिक बहस नहीं, बल्कि हर दिन खून और आँसुओं से लिखा जाने वाला सच है। एक दलित दूल्हे की जान छोड़ी चढ़ने की कीमत बन जाती है। एक आदिवासी महिला को लकड़ी लाने पर जादू-टोना का आरोप झेलना पड़ता है। एक ट्रांसजेंडर मर जाता है, पर रमशान में भी उसे जगह नहीं मिलती। और जब कानून बराबरी की बात करता है, तो समाज उसकी आवाज को जाति, धर्म और पहचान के पत्थरों से दबा देता है।

विदम्बना यह है कि यही देश दुनिया को अहंसा और योग का संदेश देता है। यही देश भाषणों में "विश्व गुरु" बनता है, पर अपने ही गाँव में यानी की एक हांडी से दलित को दूर रखता है। यही देश चंद्रयान को तारों तक भेज देता है, लेकिन एक मजदूर को मेहनत के बाद 200 रुपये देने में कंजूसी करता है। लोकतंत्र का मंदिर कहलाने वाला देश कई बार उस मीडिया का बोझ होता है जो सत्ता की चौखट से बंधी घंटी की तरह बजता है।

अगर का भारत मानवाधिकारों को किताबों में नहीं, सड़कों पर, अस्पतालों में, कोर्ट के गलियारों में, और हर उस घर में महसूस कर रहा है जहाँ न्याय की उम्मीद धीरे-धीरे दम तोड़ रही है। जब एक दलित महिला को पंचायत के



आदेश पर गाँव के बीच में अपमानित किया जाता है, जब एक आदिवासी बच्चा भूख से बिलखते-बिलखते मर जाती है क्योंकि उसे राशन कार्ड "सूची में नहीं" बताया गया, जब एक युवा पत्रकार को महज सवाल पूछने पर देशद्रोही कहकर जेल में डाल दिया जाता है, तब मानवाधिकार केवल सिद्धांत नहीं, बल्कि एक सच्ची चीख बन जाते हैं।

हम कहते हैं कि भारत डिजिटल हो रहा है, पर क्या इंफॉर्मेशन भी डिजिटल हो गई? जब इलाज न मिलने से अस्पताल के दरवाजे पर एक बच्चा दम तोड़ देता है, जब ऑक्सिजन की कमी से कोविड वाई में लोग मर जाते हैं और जिम्मेदारी गायब हो जाती है, जब अनियमित योजना के नाम पर युवाओं का भविष्य अनिश्चित हो जाता है, जब बेरोजगारी की दर इतिहास के सबसे ऊँचे स्तर पर हो और फिर भी युवा "आलसी" कहे जाएँ - तो ये सब बेरोजगार ऑकड़ें नहीं, टूटते सपनों की चित्ताएँ हैं।

भारत के पास चंद्रयान भेजने की ताकत है, पर सड़क पर रिक्शा खींचती 65-70 वर्षीया दादी के पास रोटी की ताकत नहीं। हमारे हाई-टेक शहरों में चमकते हैं, पर किसान की आत्महत्या में उसके शरीर से ज्यादा कर्ज के कागज मिलते हैं। हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन एक आदिवासी युवक पुलिस हिरासत में मारा जाता है और उसके परिवार को एफआईआर की कॉपी तक नहीं मिलती। संविधान कहता है "बराबरी का अधिकार", पर वास्तविकता पूछती है - बराबरी किसके लिए? सिर्फ नाम के लिए? या सिर्फ भाषणों के लिए?

शिक्षा अधिकार है, लेकिन सरकारी स्कूलों में बच्चे आज भी टाट पर बैठकर पढ़ते हैं, जबकि अधिकारी एसी कमरों में मीटिंगें करते हैं। स्वास्थ्य भी अधिकार है, पर एक प्रसूता अस्पताल पहुँचने से पहले ही ऑटो रिक्शा में बच्चा जन्म देने को मजबूर होती है। अभिव्यक्ति का भी अधिकार

है, पर सोशल मीडिया पर आलोचना करने पर घर गिरा दिए जाते हैं। पर्यावरण का भी अधिकार है, पर खनन की आड़ में आदिवासी गाँव उजाड़े जाते हैं। और महिलाएँ? वे आज भी "सुरक्षित घर पहुँच गई क्या?" के मेसेज पर निर्भर देश की नागरिक हैं - जहाँ हर 15 मिनट में एक बलात्कार दर्ज होता है।

मानव अधिकार दिवस उस सोच के खिलाफ युद्ध है जो कहती है - "आप मेरे घर में सब ठीक है, तो दुनिया ठीक है।" नहीं, मानवता एक परिवार है, एक जख्म सबका दर्द होना चाहिए। अगर दिल्ली में कोई लड़की छेड़ी जाती है, मुंबई में एसिड अटैक होता है, राजस्थान में मूँछ रखने पर दलित की हत्या होती है, या उड़ीसा में एक बुजुर्ग अपनी पत्नी का शव कंधे पर लेकर चलता हो जाता है, जब बेरोजगारी की दर इतिहास की परीक्षा है।

अब लड़ाई कानून की नहीं, हमारी आत्मा की है - हमारे भीतर के डर और चुप्पी के खिलाफ। शुरुआत घर से कीजिये: बेंचों को बेंटे जितनी आजादी दीजिये। झुगगी के बच्चों को पुरानी किताबें दे दीजिये। ऑफिस में किसी की पहचान का मजाक बनने से रोके दीजिये। अपनी भाषा की गालियों से स्त्री-विरोधी शब्द हटाइए। नफरत फैलाने वाले ग्रुप छोड़ दीजिये। किसी भी धर्म या जाति का मजाक उड़ाना बंद कीजिये, क्योंकि मजाक से शुरू हुई नफरत कई बार हत्या पर खत्म होती है।

मानव अधिकार दिवस की असली पुकार है - अब चुप्पी भी गुनाह है। जब आपने बलात्कार की खबर स्कॉल कर दी, आप भी दोषी थे। जब आपने धर्म पर ताना मारा, आप भी दोषी थे। जब आपने धर्म पर ताना मारा, आप भी दोषी थे। जब आपने धर्म पर ताना मारा, आप भी दोषी थे। जब आपने धर्म पर ताना मारा, आप भी दोषी थे। जब आपने धर्म पर ताना मारा, आप भी दोषी थे। जब आपने धर्म पर ताना मारा, आप भी दोषी थे।

मानवाधिकार दिवस किसी सेमिनार का

मौका नहीं। यह युद्ध है - उस मानसिकता के खिलाफ जो औरत को संपत्ति, दलित को नीचा, मुस्लिम को सँदिग्ध, आदिवासी को पिछड़ा और ट्रांसजेंडर को अदृश्य समझती है। यह युद्ध उस चुप्पी के खिलाफ है जो अपराधियों को ढाल देती है। पर हर युद्ध हथियारों से नहीं जीता जाता - कभी-कभी एक इंसान का साहस दुनिया बदल देता है।

अगर आप सच में इंसान हो, तो शुरूआत यहीं से कीजिये: अपने मोहल्ले के मंदिर में किसी दलित को रोका जाए तो आवाज उठाइए। अपनी बेंचों को चुप कराने के बजाय उसकी बात सुनिए, क्योंकि उसकी आवाज उसका अस्तित्व है। नफरत और हिंसा वाले ग्रुप छोड़ दीजिये, किसी भी अपमान को "मनोरंजन" कहना बंद कीजिये।

भारत तभी महान बनेगा जब उसका सबसे कमजोर नागरिक भी बिना डर के, सम्मान से जिए। विश्व मानव अधिकार दिवस याद दिलाता है कि 1948 का कागज भविष्य नहीं लिखेगा, हम लिखेंगे। भविष्य उतना ही उज्वल होगा जितनी हमारी संवेदना। भारत तभी महान होगा जब आखिरी औरत सुरक्षित होगी, आखिरी दलित सम्मानित होगा, आखिरी आदिवासी सुना जाएगा और आखिरी अल्पसंख्यक का डर खत्म होगा।

1948 की वह घोषणा आज भी इसलिए जीवित है क्योंकि हर पीढ़ी, अन्याय और विद्रोह उसे सच्चा साबित करता है। अब हमारी बारी है कि इस कागज को और खून न देना पड़े। 10 दिसंबर कोई उत्सव नहीं, यह वह दिन है जब इंसानियत पूछती है - "तुमने मुझे बचाया या चुप रहे?" जबवा और हथियार दोनों हमारे हाथ में हैं - संवेदना, साहस और सच बोलने की हिम्मत। और वक्त? बहुत कम बचा है। जय इंसानियत। जय वह भारत जो नफरत से नहीं, बराबरी से बनता है।

एविएशन सेक्टर मशीन नहीं, मानव चलाते हैं



पंकज जायसवाल

हाल ही में इंडिगो एयरलाइंस से जुड़ी घटना ने एक बार फिर यह सच्चाई उजागर कर दी है कि आधुनिक एविएशन जितना भी टेक्नोलॉजी-ड्रिवन क्यों न दिखे, उसकी रीढ़ आज भी मानव संसाधन ही है। हवाई जहाज, एयरपोर्ट, रनवे, रडार, सॉफ्टवेयर और ऑटोमेशन ये सभी तभी तक अर्थ रखते हैं, जब तक उन्हें संचालित करने वाला प्रशिक्षित, संतुलित और संतुष्ट मानव संसाधन उपलब्ध है।

सच्चाई यह है कि एविएशन सेक्टर अभी भी पूरी तरह मशीन-डिपेंडेंट नहीं हुआ है और ना हो सकता है। इसका सबसे बड़ा "इंजन" आज भी इंसान ही है। एक पायलट नहीं होगा तो पाँच सौ करोड़ रुपये का अत्याधुनिक विमान भी केवल धातु का एक ढांचा भर रह जाता है। विमान कोई जर्नल श्रेणी का वाहन नहीं है जिसे कोई भी चालक चला सके। एक अत्यधिक विशिष्ट मशीन है जिसे केवल प्रशिक्षित, लाइसेंस प्राप्त और मानसिक रूप से संतुलित पायलट ही उड़ा सकता है।

इसका सीधा सा अर्थ यह हुआ कि एक विमान और एक पायलट का मूल्य लगभग बराबर है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों में से किसी एक के बिना दूसरा निम्नभावी हो जाता है। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में जो भी विमान उड़ रहे हैं, वे पायलटों के कारण ही उड़ रहे हैं, बराबरी से बनता है।

इतिहास गवाह है कि जब-जब एविएशन सेक्टर में श्रमिक असंतोष फैला है, तब-तब यात्रियों को बंधक-सी स्थिति का सामना करना पड़ा है, सरकारों को हस्तक्षेप करना पड़ा है और देश की छवि को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नुकसान पहुँचा है।

इसलिए एविएशन में मानव संसाधन जोखिम, वित्तीय या तकनीकी जोखिम से कहीं अधिक संवेदनशील और खतरनाक होता है। चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर (सीएचआरओ) का पद नाम मात्र नहीं, रणनीतिक पद होता है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है क्या एविएशन कंपनियाँ अपने सीएचआरओ के पद को उतनी ही गंभीरता से ले रही हैं, जितनी सीईओ सीएफओ या सीओओ के पद को? एविएशन जैसी इंडस्ट्री में सीएचआरओ कोई सामान्य एचआर एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हो सकता। उसे एमएन, ड्यूटी रोस्टर और सफेदी रूल्स की संवेदनशीलता, श्रमिक कानूनों और सरकारी निर्देशों की

गहरी जानकारी और सबसे बढ़कर, निर्णयों के दीर्घकालिक प्रभावों की दूरदर्शिता आकलन करने की क्षमता हानी चाहिए।

वर्तमान की घटना में ड्यूटी रोस्टर संबंधी सरकारी आदेश महीनों पहले आ चुका था। यदि उसके परिणामों की सही फोरेकास्टिंग मानव संसाधन विभाग ने की होती, तो शायद संकट को टाला जा सकता था। यह दिखाता है कि मानव संसाधन प्रबंधन को 'चलता है' के नजरिये से लिया गया और उसकी गंभीरता को कम आँका गया। अब समय है समीक्षा का। आज यह समय है कि सभी एयरलाइंस, एयरपोर्ट ऑपरेटर्स, ग्राउंड हैंडलिंग कंपनियाँ अपने मानव संसाधन विभाग की स्वतंत्र और इंसानदार समीक्षा करें। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सीएचआरओ जैसे संवेदनशील पद पर केवल वही व्यक्ति बैठे जिसे एविएशन का अनुभव है, उच्च दबाव वाली परिस्थितियों को संभालने की क्षमता हो और राष्ट्रीय हित के दृष्टिकोण से निर्णय लेने की समझ हो।

इसमें सरकार और नागरिक उड्डयन मंत्रालय की भूमिका भी है। चूंकि एविएशन सेवाएँ सीधे देश के नागरिकों और आवश्यक सेवाओं से जुड़ी हैं, इसलिए बेहतर होगा कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय इस संबंध में न्यूनतम योग्यता और अनुभव से जुड़े दिशानिर्देश तय करे। जिस तरह डीजीसीपी पायलटों और इंजीनियरों के लिए मानक तय करता है, उसी तरह एविएशन सेक्टर के शीर्ष मानव संसाधन पदों के लिए एंटी-फिट एंड प्री-प्राइमरी फ्लाइट होना चाहिए अन्यथा, देश, उसकी अर्थव्यवस्था और उसके नागरिक बार-बार ऐसे संकटों में फँसते रहेंगे जिनकी कीमत केवल यात्री ही नहीं बल्कि पूरा राष्ट्र चुकाता है।

इस पूरी घटना और इसके विमर्श का लम्बोल्बाव यह है कि इंडिगो की घटना केवल एक एयरलाइन की समस्या नहीं है। यह पूरे एविएशन इकोसिस्टम के लिए एक चेतावनी है। यह याद दिलाती है कि एविएशन में मशीनों महत्वपूर्ण हैं पर उनसे भी अधिक महत्वपूर्ण हैं इन्हें संचालित करने वाले इंसान। जब तक मानव संसाधन की रणनीतिक, संवेदनशील और राष्ट्रीय दृष्टि से प्रबंधित नहीं किया जाएगा, तब तक एविएशन चाहे जितना आधुनिक हो जाए, वह उतना ही अस्थिर रहना होगा। आज जो भी हालात सामने आ रहे हैं उसे मानव संसाधन विभाग संभाल सकता था लेकिन यहाँ चूक हो गई है।

ओडिशा सरकार ने विधायकों और मंत्रियों की सैलरी बढ़ाई, अब तक उन्हें इतने पैसे मिले

मनोरंजन सासमल, स्टेट हेड ओडिशा

भूबनेश्वर : मंगलवार को ओडिशा विधानसभा में संशोधित पारिश्रमिक बिल पास होने के बाद राज्य सरकार ने MLA, मंत्रियों, स्पीकर और पूर्व MLA की पेंशन में भारी बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इसके चलते, मौजूदा और पुराने दोनों MLA की सैलरी और पेंशन बढ़ाकर 90,000 रुपये कर दी गई है। स्पीकर का मासिक वेतन पहले 40,500 रुपये था, लेकिन अब बढ़कर 98,000 रुपये हो गया है।

इसके अलावा, उनके अन्य भत्तों में भी काफी बढ़ोतरी की गई है। जैसे बैठक भत्ता 800 रुपये से 2,000 रुपये किया गया। कार भत्ता 17,000 रुपये से 89,000 रुपये किया गया। व्यय भत्ता 40,000 रुपये से 1.81 लाख रुपये किया गया। आवास भत्ता (जब तक सरकारी क्वार्टर उपलब्ध है) 1,000 रुपये से 2,000



रुपये प्रतिदिन किया गया।

इसी तरह, विधायकों के अन्य भत्तों में भी

40,000 रुपये से 96,000 रुपये किया गया। चुनाव क्षेत्र और लोक सेवा भवन का दौरा भत्ता 20,000 रुपये से 75,000 रुपये किया गया। MLA का महीने का भत्ता 2,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये किया गया। बिजली खर्च भत्ता 5,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये किया गया। मेडिकल ट्रीटमेंट भत्ता 5,000 रुपये से बढ़ाकर 35,000 रुपये किया गया। मोटर कार एवॉसस 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये किया गया।

इससे पहले, BJP सरकार के सत्ता में आने के बाद, मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने MLA भास्कर मरई के नेतृत्व में MLA की सैलरी और पूर्व MLAs की पेंशन का रिव्यू करने के लिए एक सलाहकार समिति बनाई थी। अलग-अलग पार्टियों के MLA सैलरी बढ़ाने की मांग कर रहे थे क्योंकि पुरानी पेंशन की रकम महंगाई के हिसाब से नहीं बढ़ रही थी।

बढ़ोतरी विधायकों के कई भत्तों में काफी बढ़ोतरी की गई है। उनमें से कुछ हैं, व्यय भत्ता



(10 दिसंबर, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर विशेष) मानवाधिकार दिवस: संकल्प समानता, न्याय और गरिमा का

बाबूलाल नागा

हर वर्ष 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। यह सिर्फ एक औपचारिक दिवस नहीं बल्कि उन मूल्यों की याद है जो हर इंसान को सहज रूप से मिलने चाहिए—सम्मान, समानता, स्वतंत्रता और न्याय। दुनिया में सभी को समानता का अधिकार मिले, इस दुनिया में जो भी है, सभी समान रूप से जीने का अधिकार रखते हैं। इसलिए हर साल मानवाधिकारों की पैरवी के लिए यह दिन मनाया जाता है।

यह दिन 1948 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा पारित मानवाधिकारों की सर्वभौम घोषणा की याद में मनाया जाता है, जिसने पहली बार पूरी दुनिया के सामने यह सिद्धांत रखा कि अधिकार किसी सरकार को देने नहीं, बल्कि हर इंसान का जन्मसिद्ध हक है। 10 दिसंबर 1948 को पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानवाधिकारों को अपनाने की घोषणा की। आधिकारिक तौर पर इस दिन की घोषणा साल 1950 को हुई। भारत के संविधान में मानवाधिकार की गारंटी दी। हमारे देश में 28 सितंबर 1993 से मानवाधिकार कानून अमल में आया। सरकार ने 12 अक्टूबर को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किया।

मानवाधिकार दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करना है। मानवाधिकारों में स्वास्थ्य, आर्थिक, सामाजिक और शिक्षा का अधिकार भी शामिल हैं। मानवाधिकार वे मूलभूत अधिकार हैं जिनसे मनुष्य को नस्ल, जाति, राष्ट्रियता, धर्म, लिंग आदि के आधार पर प्रताड़ित और उन्हे इन हकों से वंचित नहीं किया जा सकता। सभी व्यक्तियों को गरिमा और अधिकारों के मामले में जन्मजात स्वतंत्रता और समानता प्राप्त है।

मानवाधिकार दिवस मनाने को लेकर हर साल संयुक्त राष्ट्र द्वारा परिस्थिति को ध्यान में

रखते हुए एक थीम तय की जाती है। वर्ष 2021 में मानवाधिकार दिवस की थीम असमानताओं को कम करना, मानवाधिकारों को आगे बढ़ाना रखी गई थी। वर्ष 2022 की थीम गरिमा, स्वतंत्रता और सभी के लिए न्याय रखी गई, यानी सभी लोग स्वतंत्र और समान हैं और उन्हें गरिमा और मानव अधिकारों के साथ जीने का अधिकार है। हर किसी को जीवन जीने, स्वतंत्रता और सुरक्षा का अधिकार है या फिर एक दूसरे के प्रति सदैव भाईचारे का व्यवहार करें। वर्ष 2023 मानवाधिकार दिवस की थीम सभी के लिए स्वतंत्रता, समानता और न्याय रखी गई थी। मानवाधिकार दिवस 2024 का विषय रहमारे अधिकार, हमारा भविष्य, अभी एक प्रभावशाली और बेहतर भविष्य के लिए अभी कानूनों को जानने और उनका पालन करने के महत्व पर प्रकाश डालता है। मानवाधिकार दिवस 2025 का विषय रमानवाधिकार: हमारे रोजमर्रा के आवश्यक तत्व" रखा गया है। इस वाक्य का तात्पर्य है कि मानवाधिकार कोई अलग या विशेष परिस्थितियों में लागू होने वाली अवधारणा नहीं है, बल्कि यह हमारी दैनिक जीवन का मूल हिस्सा है। जैसे भोजन, पानी, हवा, शिक्षा, सम्मान और स्वतंत्रता—ये सब वैसे ही आवश्यक हैं जैसे जीवन का मूल आधार।

भारतीय संविधान में भी मानवाधिकारों के महत्व को पहचाना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 39, 43, 45 देश में मानवाधिकारों की रक्षा करने के लिए हैं। तृतीय अध्याय में कुछ मौलिक अधिकारों की गारंटी भी दी है। ये हैं: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों से संबंध है। जिसके अनुसार भारत का सर्वोच्च न्यायालय

इन मौलिक अधिकारों को लागू करवाने का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार रखता है। यह किसी भी व्यक्ति के मानव अधिकारों के हनन के विरुद्ध सुरक्षा का अधिकार है। इसमें राज्य द्वारा लोगों के कल्याण में वृद्धि हेतु सामाजिक, व्यवस्था, सामाजिक न्याय, काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का कर्तव्य सम्मिलित है तथा काम करने की न्यायोचित एवं मानवीय स्थितियों का प्रावधान, कमजोर वर्गों के हितों को प्रोत्साहित करना, पोषण एवं जीवन स्तर को उठाना तथा जन स्वास्थ्य में सुधार करना, पर्यावरण पारिस्थितिकी तथा वन्य जीव इत्यादि की रक्षा एवं सुधार करने के कर्तव्य सम्मिलित हैं।

इसके साथ ही प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों को संविधान के भाग IV-A में अनुच्छेद 51 A में दर्ज किया गया है जो मौलिक अधिकारों की गारंटी को और अधिक मजबूत करते हैं। मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति प्रदान करने वाले अनुच्छेद 32 के साथ उच्च न्यायालयों को ऐसी ही शक्ति अनुच्छेद 226 के अंतर्गत प्रदान की गई है। उच्चतर न्यायपालिका द्वारा मानवाधिकारों का संरक्षण एवं उन्हें लागू करने का काम एक संवैधानिक आदेश है। कानून का शासन हमारे संविधान की आधारभूत विशेषता है और इसी प्रकार न्यायिक समीक्षा भी आधारभूत विशेषता है।

मानवाधिकार के प्रसार में उच्चतर न्यायालय की भूमिका प्रशंसनीय है तथा अनुच्छेद 21 इसके लिए एक फलदायी अनुच्छेद है। कई मामलों में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि विभिन्न अनुच्छेदों के अंतर्गत दिए गए अधिकारों जैसे मानवीय गरिमा का अधिकार, स्वास्थ्य, पर्यावरण का अधिकार, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, बचपन की रक्षा का अधिकार इत्यादि के उल्लंघन पर क्षतिपूर्ति (मुआवजा) देना

होगा। 1948 के मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र का प्रभाव भारतीय संविधान के भाग III और IV के प्रारूप में निरंतर अनुभव किया गया। भारत में मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र तथा अन्य दोनों प्रसंविदाओं को कुछ फेरबदल के साथ स्वीकार किया।

कहने का अर्थ यह है कि मानवाधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियाँ हैं जिनके बिना कोई भी मनुष्य अपना विकास नहीं कर सकता। अधिकार वे हक जो एक आम आदमी को जीवन जीने के लिए चाहिए, जिसकी वो मांग करता है। कानून द्वारा प्रदत्त सुविधाएँ अधिकारों की रक्षा करती हैं। और अगर हम मानवाधिकार एवं संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना चाहते हैं तो हमें देश के नागरिकों के उन अधिकारों की रक्षा और प्रवृत्त कर लिए कार्य करना चाहिए जो हक उन्हें भारत का संविधान देता है। हमें लोगों को उनके धर्म, जाति, खान-पान और पहनावे के आधार पर आंकना बंद करना चाहिए। हमें नागरिकों के मानवाधिकार और संवैधानिक अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने का प्रयास करना चाहिए।

मानवाधिकारों की असली प्रासंगिकता तभी है जब हर नागरिक का जीवन गरिमामय हो, और हर व्यक्ति यह महसूस करे कि वह सुरक्षित, स्वतंत्र और समान है। दूसरा हमें इस पर गौर करना चाहिए कि मानवाधिकार सरकारों की जिम्मेदारी तो है ही साथ ही हर नागरिक का नैतिक कर्तव्य भी है। हमें—दूसरों का सम्मान करना, भेदभाव न करना, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना, कमजोर और वंचित वर्गों का साथ देना, मानवता को सर्वोपरि मानना जैसी जिम्मेदारियाँ निभानी चाहिए। तो आइए हम इस 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाने और एकजुटता और प्रतिबद्धता की भावना का जश्न मनाने के लिए एकजुट हो।

आखिर देश में कब तक बनते रहेंगे 'लाक्षागृह' और मरते रहेंगे निर्दोष

ज्ञान चंद पाटनी

महाभारत में जिक्र आता है कि पांडवों को खत्म करने के लिए दुर्योधन ने 'लाक्षागृह' का निर्माण करवाया था। विदुर का संकेत समझकर वे तो वहाँ से बच निकले थे लेकिन प्रशासनिक लापरवाही, पैसा कमाने की भूख और जन सामान्य में जागरूकता की कमी के कारण देश में जगह-जगह बने 'लाक्षागृह' लोगों की जान ले रहे हैं। इस बार पर्यटन के लिए विख्यात गोवा के 'लाक्षागृह' में 25 जगहों में गोवा का नाइट क्लब अर्निंगकांड केवल एक स्थानीय त्रसदी नहीं है बल्कि एक बार फिर पूरे देश के लिए एक गंभीर चेतावनी भी है। इस हादसे से स्पष्ट हो गया है कि हम सुरक्षा व्यवस्था के प्रति कितने लापरवाह हैं। व्यापार करने वालों को आर्थिक लाभ की तो चिंता है लेकिन वे सुरक्षा से जुड़े नियमों को पालना नहीं करना चाहते। इस तरह वे लोगों की जान से खिलवाड़ करते हैं। गोवा में नाइट क्लब के अंदर लगी आग की वजह से 25 लोगों की जान चली गई। यह हादसा हमारी व्यवस्था और मानकों पर प्रश्नचिह्न लगाता है।

हादसे के बाद यह बात सामने आई है कि नाइट क्लब का प्रवेश द्वार असामान्य रूप से संकरा था, जिसके कारण आग लगने के बाद लोगों के सुरक्षित बाहर निकलने में बाधा आई। साथ ही क्लब में ताड़ के पत्तों से अस्थायी संरचना बनाई गई थी। इससे आग को तेजी से फैलने का सस्ता मिला। इससे पता चलता है कि सुरक्षा मानकों की अनदेखी हुई और यह लापरवाही भारी पड़ी। सरकार ने हादसे के बाद एक विशेष जांच समिति का गठन किया है, जो अर्निंगकांड के कारणों और जिम्मेदारों की शीघ्र पहचान करेगी। यह समिति न केवल प्रशासनिक कमी को उजागर करेगी, बल्कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस सुझाव भी देगी। हर मृतक के सबसे करीबी रिश्तेदार को 5 लाख रुपए और घायलों को 50 हजार

रुप की सहायता राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण फंड से देने की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा है कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषी अधिकारियों तथा क्लब मालिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कहीं भी होने वाले हादसे के बाद इसी तरह के बयान सामने आते हैं लेकिन ठोस कदम नहीं उठाए जाते। इसलिए ऐसे हादसों पर भी अंकुश नहीं लगता।

यह दावा करना कि नाइट क्लब के संचालक और स्टॉफ की लापरवाही के कारण ही नाइट क्लब 'लाक्षागृह' बना, गलत होगा। इसके लिए नियामक एजेंसियों की लापरवाही भी जिम्मेदार है। क्लबों को बिना उचित जांच के लाइसेंस जारी कर दिया जाता है, मुनाफे के नाम पर व्यवसायी सुरक्षा उपायों को दरकिनार कर देते हैं। पुलिस, अग्निशमन विभाग और स्थानीय प्रशासन से जुड़े अधिकारी इन स्थानों का नियमित निरीक्षण नहीं करते। इससे समय रहते सुरक्षा कमियों की तरफ ध्यान नहीं जाता और हादसा हो जाता है।

इस घटना से सबक लेना होगा कि सार्वजनिक स्थानों पर विशेष रूप से भीड़ वाली जगहों की सुरक्षा के लिए सख्त नियम बनाए जाएं और उनका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। सिर्फ कड़े फायर सफ्टी मानकों को अपनाना ही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि व्यक्ति स्तर पर जागरूकता, प्रशिक्षित स्टॉफ और आपातकालीन व्यवस्थाएं भी पूरी होनी चाहिए। साथ ही, सामुदायिक सहभागिता और स्थायी निगरानी तंत्र भी आवश्यक हैं।

देश में कहीं न कहीं आग लगने की घटना सामने आती ही रहती है। हाल ही राजस्थान की राजधानी जयपुर स्थित सवाई मान सिंह अस्पताल के ट्रौमा सेंटर के आईसीयू में लगी आग दिल दहलाने वाली थी। इसी तरह दो वर्ष पूर्व गुजरात के राजकोट

का गोंगिंग जोन अर्निंगकांड भी भुलाया नहीं जा सकता। धार्मिक स्थल ही या बहुमंजिला इमारत, अस्पताल हो या स्कूल, मैरिज गार्डन हो या गेम जॉन, सिनेमा घर हो या नाइट क्लब, कहीं भी लोगों की जान सुरक्षित नहीं है। बार-बार हो रहे ऐसे हादसे इस बात की गवाही देते हैं कि व्यवस्थागत स्तर पर सुधार की तत्काल जरूरत है। यदि हम इन चेतावनियों को अनसुना करते रहेंगे तो भविष्य में और भी बड़े हादसे हो सकते हैं।

सरकार को चाहिए कि वह अपने सभी विभागों को यह स्पष्ट संदेश दे कि सुरक्षा मानदंडों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस दिशा में सख्त कानूनों एवं स्वचालित निगरानी तंत्र का निर्माण किया जाए। इसके साथ ही, फायर फाइटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाना राज्य सरकारों की प्राथमिकता हो। उपकरणों की नियमित जांच और स्प्रेडल की उपलब्धता सुनिश्चित करना अनिवार्य है, क्योंकि फायर एंड सिक्योरिटी एंजिनियरिंग एंड इंजीनियरिंग के अनुसार भारत में अब भी 96 प्रतिशत फायर स्टेशन जरूरी संसाधनों से वंचित हैं।

हादसा होने पर अफसोस व्यक्त करना और दण्डितियों को सजा देना ही समाधान नहीं है। त्रसदी से पहले सक्रियता, निरंतर निगरानी और जन जागरूकता से ही हम सुरक्षित समाज का निर्माण कर सकते हैं। गोवा के इस अर्निंगकांड ने एक बार हमें बाध्य किया है कि हम अपने शहरों, सार्वजनिक स्थानों और मनोरंजन स्थलों को 'लाक्षागृह' बनने से रोकने के लिए ठोस कदम उठाएं। सार्वजनिक व निजी दोनों क्षेत्रों में आपातकालीन सेवाओं का समन्वय बेहतर बनाएं। लोक प्रशासन, अग्निशमन विभाग, पुलिस और व्यवसायियों के बीच सामंजस्य बनाकर ही हम सुरक्षा के उच्च मानक स्थापित कर सकते हैं और 'लाक्षागृहों' से लोगों की जान बचा सकते हैं।

पंजाब रैसलिंग एसोसिएशन की हालिया चुनाव प्रक्रिया में अमृतसर के पूर्व सीनियर डिप्टी मेयर रमन बख्शी ने अध्यक्ष पद पर शानदार विजय दर्ज की है

अमृतसर, 9 दिसंबर (साहिल बेरी)

इस अवसर पर अमृतसर इम्पूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन सरदार करमजीत सिंह रिट्टू ने रमन बख्शी जी को सम्मानित किया। साथ ही पंजाब के हर जिले से एसोसिएशन से जुड़े अधिकारियों और खेल प्रेमियों ने भी उनकी जीत का गर्मजोशी से स्वागत करते हुए पूरा समर्थन दिया। इस मौके पर गुलदीप सिंह नीतू (उपाध्यक्ष), शाहबाज सिंह (जनरल सचिव), विक्रम शर्मा (कोषाध्यक्ष), नवजोत सिंह (जिला लुधियाना जनरल सचिव) और परमजीत सिंह पंम्पा (जिला प्रधान जालंधर) मौजूद रहे। चुनाव परिणाम



घोषित होने के बाद विभिन्न जिलों के अधिकारियों ने रमन बख्शी जी को हार्दिक बधाई देते हुए आशा व्यक्त की

कि उनकी अगुवाई में पंजाब में रैसलिंग खेल को और अधिक बढ़ावा मिलेगा तथा नई ऊर्जा और दिशा प्राप्त होगी।

पुलिस द्वारा जनता के गुम हुए मोबाइल फोन को तकनीकी तरीकों से ट्रेस कर बरामद किया गया

अमृतसर 9 दिसंबर (साहिल बेरी)

माननीय पुलिस कमिश्नर अमृतसर की हिदायतों और ए.डी.सी.पी. सिटी-2 के दिशा-निर्देशों के तहत, ए.सी.पी. वेस्ट अमृतसर की निगरानी में पुलिस द्वारा जनता के गुम हुए मोबाइल फोन को तकनीकी तरीकों से ट्रेस कर बरामद किया गया।

बरामद किए गए इन मोबाइल फोनों को आज सही प्रक्रिया के अनुसार उनके असली मालिकों को सौंप दिया गया। आई.टी. सेल की कर्मचारी कुष्मा ने मोबाइल फोन रिकवरी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके लिए उनकी विशेष सराहना की गई।

मोबाइल प्राप्त करने वाले

व्यक्तियों के नाम इस प्रकार हैं:

- रमा पत्नी अरुण कुमार
- एएसआई नसीब सिंह
- जगजीत सिंह पुत्र विश्वा गुप्ता
- राघव आर. पुत्र भूषण कुमार
- शिवम पुत्र कुलदीप कुमार
- सुभाष चंद्र पुत्र रोशन लाल
- संकर देव पुत्र सुबोध सुबेदी
- विशाल कुमार पुत्र ओम प्रकाश

पुलिस की यह पहल जनता के विश्वास को और अधिक मजबूत करती है तथा साइबर/टेक्निकल टीम द्वारा किए जा रहे उल्कृष्ट कार्य की मिसाल पेश करती है।



जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी तथा जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा वृद्धाश्रम का दौरा

परिवहन विशेष न्यूज

संगरूर, 9 दिसंबर (जगसीर सिंह)- जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी संगरूर की सम्माननीय मैडम लवलीन कौर, जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, और जिला शिक्षा अधिकारी मैडम तरविंदर कौर द्वारा वृद्धाश्रम मस्तुआना साहिब स्थित 'आशीर्वाद होम' का दौरा किया गया। इस दौरान उन्होंने बुजुर्गों को आश्रम में मिल रही सुख-सुविधाओं और आश्रम में चल रही गतिविधियों का निरीक्षण किया और आश्रम में रह रहे बुजुर्गों से बातचीत की। अभियान फाउंडेशन द्वारा सुचारु ढंग से चलाए जा रहे वृद्धाश्रम आशीर्वाद होम पर उन्होंने अपनी संतुष्टि व्यक्त की। जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी मैडम और जिला शिक्षा अधिकारी मैडम ने उल्कृष्ट सेवाएं प्रदान करने के लिए अभियान फाउंडेशन के स्टॉफ की सराहना की।



आप ब्लॉक समिति और जिला परिषद चुनाव में दूसरी पार्टियों के उम्मीदवारों से कर रही है धक्के शाही : सुनील गोयल डिंपल

संगरूर, 9 दिसंबर (जगसीर सिंह)-

आम आदमी पार्टी ब्लॉक समिति और जिला परिषद चुनाव में दूसरी पार्टियों के उम्मीदवारों को धमका रही है। ये बातें बीजेपी के सीनियर नेता सुनील गोयल डिंपल ने कहीं। उन्होंने कहा कि ब्लॉक समिति और जिला परिषद चुनाव में अपने उम्मीदवारों को जितकर आम आदमी पार्टी के पक्ष में गलत छवि बनाने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। इसके लिए आम आदमी पार्टी दूसरे उम्मीदवारों के पंचे खारिज करवा रही है, जबकि दूसरी पार्टियों के उम्मीदवारों के पंचे भरने आते समय उनके कागज छीनकर भगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा करके आम

आदमी पार्टी ने लोगों को यह एहसास दिलाया है कि पंजाब में जंगल राज है। भाजपा नेता सुनील गोयल डिंपल ने कहा कि अगर आम आदमी पार्टी को ब्लॉक समिति और जिला परिषद जैसे चुनावों में हारने का डर है, तो ब्लॉक समिति और जिला परिषद के चुनाव कराने के बजाय आम आदमी पार्टी को इन पदों पर अपने लोगों को खड़ा करना चाहिए, इससे ना सिर्फ आम आदमी पार्टी की सत्ता की भूख शांत होगी, बल्कि चुनावों पर खर्च होने वाले राज्य के करोड़ों रुपये भी बचेंगे। बीजेपी नेता ने कहा कि पंजाब की जनता सब देख रही है और समय आने पर राज्य की जनता आम आदमी पार्टी को सबक जरूर सिखाएगी।

